

3.00 P.M.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Okay.

श्री रामविलास पासवान : करिए, कितनी देर करना है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सर, कोई समय सीमा न हो, लेकिन आप इसको फिनिश करिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have a suggestion. Today, we will discuss it up to 6 o'clock, *i.e.*, for three hours. At 6 o'clock we will take the sense of the House and continue if we want. Okay. All right. Shri Ghulam Nabi Azad.

DISCUSSION ON THE AGRARIAN CRISIS AND SUICIDES BY FARMERS IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): डिप्टी चेयरमैन सर, हमने जो सुबह नोटिस दिया था, वह किसानों की देश में जो आज स्थिति है, उसके चलते दिया था। देश में किसानों के हालात इतने खराब हो गए हैं कि राज्यों में आत्महत्याएं तो होती थीं, लेकिन कभी भी इतनी गंभीर हालत नहीं हुई थी कि दिल्ली में आकर किसी भी किसान सभा में या मीटिंग में पेड़ पर चढ़कर कोई भी किसान अपने गले में रस्सी डालकर आत्महत्या करे। ऐसे हालात आज देश में पैदा हुए हैं।

सर, इसकी सबसे बड़ी वजह है, इसके दो-तीन कारण किसानों की इस हालत के लिए हैं। एक तो बेवक्त जो बारिश हुई, पूरे देश में जो बेवक्त ओले पड़े और मैं नहीं समझता कि कोई भी फसल देश में रही होगी, जो खराब नहीं हुई। मैं जम्मू-कश्मीर से शुरू करता हूं। वहां कश्मीर वादी में तो फल सबसे ज्यादा होते हैं। उन सब में फरवरी, मार्च के महीने में फूल लगते हैं और वे फल वहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, वे फल पूरे देश में जाते हैं। वे सब फूल गिर गए, कहीं पर 90 परसेंट और कहीं पर हंड्रेड परसेंट गिर गए। जम्मू में गेहूं होता है, उसकी फसल तबाह और बरबाद हो गई। पंजाब, हरियाणा, यू.पी. सहित, जिन-जिन प्रदेशों में गेहूं की फसल होती है, वह बरबाद हो गई। सरसों पूरे देश में होती है, वह तबाह, बरबाद हो गई। तिलहन की फसल होती है, वह बरबाद हो गई। अंगूर बरबाद हो गया। यहां पर हमारे ऑनरेबल मेम्बर्स बताएंगे कि उनके अपने-अपने राज्यों में कौन-कौन सी खाने-पीने की जो फसलें होती हैं, वे किस तरह से नष्ट हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, बरबाद हो गई हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज अगर हम इस सदन में दोपहर का लंच ब्रेक करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि हम सब दोपहर का खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इस खाने को कौन तैयार करता है? इसको इस देश का किसान तैयार करता है। आज इस देश में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं, पहले भी बन रहे थे, पिछले 60-65 साल में बने, लेकिन आज से 40 साल या 50 साल पहले इतना पैसा नहीं होता था कि हम इतनी ज्यादा सड़कें बनाएं, इतने ज्यादा अस्पताल बनाएं, हम ज्यादा उद्योग लगाएं, हम ज्यादा रोजगार पैदा करें, क्योंकि हमारा जो पैसा खर्च होता था, वह बाहर से, विदेश से, रूस से गेहूं लाने में और खाने-पीने की कई चीजें लाने में खर्च होता था। सबसे कुशल सरकार वही

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

मानी जाती थी कि जिसमें क्षमता हो कि वह बाहर के देशों से खाने-पीने की चीजें इम्पोर्ट करे, विशेष रूप से गुंदम हम बाहर के देशों से लाते थे। लेकिन आज इन 65 वर्षों में जहां जमीन कई गुणा घट गई है, आज़ादी से लेकर अगर देखेंगे, तो चार गुणा हमारी आबादी बढ़ी है और अगर जमीन देखेंगे, तो वह कई गुणा घट गई है, क्योंकि फलड में जाती है, सड़कें बनती हैं, लोगों के घर बन गए, उन पर इंडस्ट्रीज़ आ गईं, उन पर रेलगाड़ियां बनीं, पटरियां बनीं, हॉस्पिटल्स, कालेजेज़, यूनिवर्सिटीज़ बनीं, ये तमाम चीजें उसी जमीन पर बनी हैं। आज भी जमीन चिंता का विषय है। यह जो Land Acquisition Bill आज आ रहा है, यह भी इसीलिए था कि हम आज अनाज में आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज हम रिकार्ड पर रिकार्ड बना रहे हैं। यूपीए के बारे में तो देश-विदेश में बहुत बताया जाता है कि पचास साल का कचरा साफ किया जा रहा है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है, जिसने इस देश में Green Revolution लाकर, एग्रिकल्चरिस्ट को, किसान को Minimum Support Price देकर उनकी सहायता, उनकी मदद की। आज रशिया से कोई अनाज नहीं मंगाता है। हम दूसरे देशों से खाने-पीने की चीजें नहीं मंगाते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आज यहां से दर्जनों देशों में अनाज भेजते हैं। हम जब कैबिनेट में थे और हमारे कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी यहां बैठे हैं, हम कहते थे अनाज के भंडार हों और ज्यादा export करने की इजाजत दी जाए। हमारे फूड मिनिस्टर भी ऐसे ही कहते होंगे कि export किया जाए। यह export कैसे होगा, आप 40 साल export की नहीं import की बात करते थे। आप 32 करोड़ आबादी के लिए import करते थे, हम करते थे और हमारा देश करता था, लेकिन आज 125 करोड़ आबादी, चार गुना ज्यादा होकर भी हम import नहीं करते हैं, आज export करते हैं, तो यही 50 साल का कचरा आज हमारे प्रधान मंत्री जी बाहर साफ कर रहे हैं। उनको यह समझ में नहीं आता है वे और यह नहीं कहते हैं कि आप 32 करोड़ आबादी के लिए import करते थे और आज 125 करोड़ आबादी को खिलाकर भी आप export करते हैं। यह इन किसानों की खून-पसीने की मेहनत और जो सरकारें थी, उनकी नीतियां पं. जवाहरलाल नेहरू से लेकर डा. मनमोहन सिंह जी तक जो प्रधान मंत्री रहे, चाहे उनमें अटल जी भी रहे हों, उनका भी योगदान रहा है। मैं यह नहीं कहता कि खाली कांग्रेस का ही योगदान रहा है। मैं दूसरी पार्टियों के लोगों की तरह नहीं हूँ कि वे सिर्फ अपने साल बाहर निकाल देते हैं और हमारे साल खाली वहीं विदेश में गिनते हैं, और न ही हमारी पार्टी ऐसी नीतियों पर विश्वास रखती है। हमने Green Revolution के लिए भी लोगों की मदद की है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डैम की पांच साला प्लान की योजना रखी थी। वे पं. जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिन्होंने कहा था कि यह भाखड़ा डैम हमारे मंदिर और गुरुद्वारे हैं, तब उन्होंने सोचा था कि एक वक्त आएगा जब 125 करोड़ आबादी आएगी और 150 करोड़ आबादी भी आएगी, तो हमें रूस या अमरीका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने देश के लिए इरिगेशन के लिए भाखड़ा डैम तथा उसी तरह के और डैम भी बनाए और इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी तक और आज तक सैकड़ों डैम बन रहे हैं और बने हैं, जिनकी वजह से आज 125 करोड़ जनता का पेट पालकर, यह देश विदेशों में अनाज भेजता है और हमारे जैसे देशों में, जहां 40 या 50 साल पहले पेट भरने के लिए अनाज नहीं मिलता था, आज उनका पेट इसी हिन्दुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर भरते हैं। वे किसान और मजदूर आज खतरे में हैं। आज उनकी जमीन चली गई है, उनकी जमीन सड़कों के नीचे चली गई है, जो कि जरूरतें हैं, बड़ी सड़कें या छोटी सड़कें। जो रेल की पटरियां बनी हैं, उनके नीचे किसानों की जमीन चली गई। जो यह 125 करोड़ आबादी बनी है,

इनके घर तथा इनकी दुकानें, इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इनकी जिंदगी की जरूरियात हैं, उनके लिए उनकी जमीन ली जा रही है। हमने यही देखा था और अनुभव किया था।

उपसभापति जी, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, तो मैं अपने गांव में गया, जहां हमारे दादा जी रहते थे। उन्होंने तथा गांव के और लोगों ने कहा कि यहां सड़क नहीं है, लेकिन लीडर लोग तो कहते हैं कि सड़क है। हमने कहा कि पीएमजीएसवाई में सड़क बनाओ, एक साल के बाद हम उद्घाटन करने आएंगे। एक साल के बाद जब हम उद्घाटन करने गए, तो मुझे रोना आया और अफसोस हुआ कि यह सड़क क्यों बनाई। मुझे लगता था कि मेरा स्वागत होगा कि एक साल के अन्दर सड़क बनी, लेकिन वे रो रहे थे। वे कह रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री बन कर तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे साथ अन्याय किया, हमें खत्म किया। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारे पास 2-2, 3-3 कनाल जमीन थी। हमारे यहां जमीन एकड़ में नहीं है, एक एकड़ में 8 कनाल जमीन होती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक-चौथाई एकड़ की जमीन थी, वह एक्वायर कर ली गई। हममें से किसी ने रिजिस्ट्रार तो किया, लेकिन उसे एक्वायर करके सड़क बनाई गई और हमारे पास अब पलायन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। यह जमीन तो चली गई। हम 2013 में लैंड एक्विजीशन बिल लाए थे, तो वह किसी अनुभव के आधार पर लाए थे। हमारा यह अनुभव था कि इस देश में सड़कें भी चाहिए, इस देश में नहरें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, बाकी प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, लेकिन 150-200 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में 1894 में जो कानून बना कि जब भी सरकार की मर्जी होगी, वह जमीन ले लेगी, वहां पटवारी और तहसीलदार की जो भी मर्जी होगी, वह लिख देगा कि इसकी कीमत 10 हजार है, इसकी कीमत 5 हजार है, उसको 10 हजार दे दो, उसको 5 हजार दे दो। मुमकिन है कि आज से 50 साल, 100 साल पहले उस जमीन की कीमत वही होगी, लेकिन आज जमीन की वह कीमत नहीं है। हम सड़क बना देते हैं, हम पुल बना देते हैं, हम दुकान के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जमीन लेते हैं और वह छोटा जमींदार बेघर हो जाता है, वह सड़क पर आ जाता है। इसीलिए अपने अनुभव से यूपीए गवर्नमेंट लैंड एक्विजीशन बिल लाई थी। इसी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आज सरकार है, इसके नेताओं ने, मैं केवल मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं करता हूँ, इसके नेताओं ने अमेंडमेंट्स दिए, हमने उन अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया और वह कानून बना। क्या बदल गया? वे इधर से उधर गए और हम उधर से यहां आ गए और सब कुछ बदल गया कि आपने जो लैंड एक्विजीशन कानून बनाया था, वह गलत हो गया। अब जमीन इसके लिए भी चाहिए, उसके लिए भी चाहिए, किसी की इजाजत की जरूरत ही नहीं है, हम पूछे बगैर ले लें। हमारी मर्जी है, किसी का घर ले लें या जमीन ले लें, कोई पूछेगा नहीं। यह भी एक वजह है। This is contributory factor for what is happening across the country. वह कह रहा है कि इस गवर्नमेंट के चलते इस देश का, किसान का इस गवर्नमेंट से विश्वास उठ गया है। वह सोचता है कि यूपीए गवर्नमेंट ने उस वक्त यहां हमारे ऑपोजीशन के साथियों से सहयोग करके, बात करके, यह कानून बनाया था कि अब उनको चार गुना, पांच गुना उसका मुआवजा मिलेगा, जब तक वहां के 70 परसेंट, 80 परसेंट लोग इजाजत नहीं देंगे, कंसेंट नहीं देंगे, मंजूरी नहीं देंगे, तब तक हम उस जमीन को नहीं ले सकते हैं। हमने उसमें Social Impact Assessment clause रखा था कि उसमें आसपास के जो लोग हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब हम पहाड़ों में जमीन लेते हैं, तो हम एक आदमी की जमीन लेते हैं, लेकिन जब हम उस जमीन को खोदते हैं, तो नीचे वाले चार लोग होते हैं, जिनकी जमीन

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

हमने नहीं ली होती है, वह भी चली जाती है। यह उस असेसमेंट में आता है कि उसका उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। हमने वह भी हटा दिया। अगर आज किसान आत्महत्या करता है, तो उसके दो दुख हैं, दो कारण हैं। एक है इस सरकार पर अविश्वास। चाहे देर से ही वह कानून बना, मैं तो सोचता हूँ कि 40 साल पहले, 50 साल पहले वह कानून बनना चाहिए था, लेकिन हमने कानून बना लिया। अब लोगों को विश्वास आता था कि हम अपनी जमीन के मालिक हैं, चाहे एक टुकड़ा ही क्यों न हो, हम उसके मालिक हैं। उनको अब लगता है कि हमको इस मालिकाना हक से फिर से वंचित कर दिया जाएगा और जब भी सरकार की मर्जी आएगी, तब वह हमसे हमारी जमीन हथिया लेगी।

दूसरा, इस दफा ऊपर से हम पर अल्लाह की, भगवान की, वाहेगुरु की ऐसी मार पड़ गई और यह बारिश पता नहीं कहाँ से आ गई। अब तो हम मौसम ही भूल गए हैं कि मौसम क्या होता है, रेनी सीज़न क्या होता है, ऑटम क्या होता है, विंटर कब होता है और सिप्रिंग कब होता है। कम से कम कश्मीर में तो हम ये चार मौसम हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन एक साल से वहाँ पर भी ये चारों मौसम नहीं देखे जा रहे हैं। पिछले सितम्बर से लेकर आज तक बराबर बारिश चल रही है और लोग बताते हैं कि आगे भी यह चलती रहेगी। पूरा देश, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर बंगाल तक और पंजाब से लेकर हरियाणा तक, सभी इसकी चपेट में आ गए हैं। बारिश के साथ-साथ ओले भी गिर रहे हैं। मुझे कुछ महाराष्ट्र के साथी बोल रहे थे कि हमने पहली दफा बर्फ देखी है। जब मैंने उनसे पूछा कि वह बर्फ कैसी थी, तो उन्होंने बताया कि इतनी मोटी थी, गोल थी, तो मैंने उनसे कहा कि वह बर्फ नहीं थी, ओले थे। इसमें उनका कसूर भी है, क्योंकि जब आधा-आधा फुट ओले पड़े, तो वे सोचते होंगे कि यहाँ पर भी कश्मीर जैसी बर्फ बन गई है।

महोदय, इस तरह एक तरफ तो किसानों पर सरकार की मार पड़ रही है, क्योंकि वह लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर ऐसी अड़ी हुई है, ऐसी अड़ी हुई है, जैसे विपक्ष से ही कुछ लेकर जाना हो। अगर हमसे कुछ छीन लेना चाहते हैं, तब तो आप अड़ जाइए, लेकिन उस गरीब किसान के पास देने के लिए क्या है? उसके पास तो एक झोंपड़ी है, छोटी सी जमीन है और खाने के लिए दो वक्त की रोटी है। अगर उसके पास कुछ ज्यादा जमीन है भी, तो उस जमीन से हिन्दुस्तान के 125 करोड़ लोगों को भी तो वही पालता है। उस पर भी यह सरकार ऐसी डटी हुई है, जैसे उसको किसानों से कोई बदला लेना हो कि हम तो यह कानून पास करके ही रहेंगे, यह ऑर्डिनेंस लाकर ही रहेंगे।

महोदय, मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपनी जिद पर कायम नहीं रहें। यह जो लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस है, इसको पास कराने की जो जिद उन्होंने ठानी है, इस जिद को वे छोड़ दें और इस देश के लाखों-करोड़ों किसानों की जिन्दगियों को बचा लें, वरना इस तरह की आत्महत्याएं होती ही रहेंगी। शरद यादव जी ठीक बोल रहे थे कि अब तो ये आत्महत्याएं हमारे सिर पर ही पहुंच गई हैं, पार्लियामेंट के नज़दीक पहुंच गई हैं। अब ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या दूसरे अन्य राज्यों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, अब ये दिल्ली में हमारे घरों के सामने, पार्लियामेंट के पास पहुंच गई हैं, जो डेमोक्रेसी का मन्दिर है। मालूम नहीं कि कब, कौन, कहाँ पर

आत्महत्या कर लेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जो किसान हैं, हम उनको सांस लेने दें।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इलेक्शन कैम्पेन के दौरान एक बात कही थी, जब वे इलेक्शन कैम्पेन कमेटी के चेयरमैन थे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधान मंत्री पद के कैंडिडेट थे। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे आने के बाद इन आत्महत्याओं पर रोक लगेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि उनके आने के बाद आत्महत्याओं पर रोक तो क्या ही लगी, लेकिन हरियाणा में, जहां पर कभी आत्महत्या होती ही नहीं थी, वहां भी किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। राजस्थान में कभी कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था, वहां पर भी यह पहुंच गई। और तो और दिल्ली की किसी रैली में किसानों के मुद्दे को लेकर कभी किसी ने कोई आत्महत्या नहीं की थी, आज तो यह वहां पर भी पहुंच गई है।

दूसरी बात उन्होंने कही थी कि साहूकारों को खत्म करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने साहूकारों को खत्म कहाँ किया, आज तो उन्हीं का राज चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी को देश के साथ, गरीब किसानों और मजदूरों के साथ अपने इलेक्शन कैम्पेन के समय का वादा पूरा करना चाहिए।

महोदय, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मेरा पहला प्रश्न यह है, उन्हें यह बताना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से अभी तक किस-किस राज्य सरकार को कितना-कितना पैसा दिया गया है? किस-किस राज्य ने अपनी तरफ से और केन्द्रीय सरकार की तरफ से कितना-कितना पैसा किसानों को बांटा है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, अभी तो माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब स्वयं ही गायब हो गए हैं। सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनको कितना कम्पेंसेशन दिया जा रहा है, कितनों को अभी तक दिया और कितनों को देने वाले हैं?

मेरा तीसरा क्वेश्चन माननीय फूड मिनिस्टर से है। यहां मुझे किसी ने बताया कि एफसीआई ने कहा है कि जिसमें 15 परसेंट मॉयश्चर होगा, 15 परसेंट तो बहुत कम है, लेकिन 15 परसेंट और उससे ऊपर मॉयश्चर होगा, तो उसको खरीदा नहीं जायेगा। क्या यह सत्य है? यहां तो बताया गया है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी की स्पीच देखी थी और वे बिल्कुल हाथ से भी दिखा रहे थे कि अगर इतना थोड़ा सा काला या खराब भी होगा, तो हम सब खरीदेंगे। लेकिन, ऐसा तो नहीं लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपने भाषणों में एक बात बोलती है, माननीय प्रधान मंत्री जी भाषणों में एक बात बोलते हैं और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दूसरा नोट भेजती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो भाषणों में है, क्या वही एफसीआई प्रोक्योरमेंट करते वक्त जमीन पर लागू करती है, उसमें कहीं तालमेल है या उनमें अलग-अलग चीजें हैं? तो उसमें मॉयश्चर कितना है या वह कितने परसेंट खराब है, चाहे वह अनाज है या गेहूँ है या पैडी है? देश में अलग-अलग जगहों में खाने-पीने की अलग-अलग चीजें खराब हुई हैं, लेकिन हम तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अधिकतर यही दो चीजें खरीदते हैं—राइस और व्हीट। तो इनके बारे में मैं माननीय फूड मिनिस्टर से जानना चाहूँगा।

अब मैं चौथी बात की तरफ माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, विशेष रूप से कल की घटना की ओर। मैं कल जगन्नाथपुरी में था। मैं जे.बी. पटनायक जी के अंतिम संस्कार के लिए गया था। वहां कुछ घंटे इंतजार करना पड़ा। जब तक उनकी बॉडी आई, तो मैं तकरीबन

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

तीन-चार घंटे टेलीविजन देखता रहा। उस समय तमाम टेलीविजन चैनल्स पर दिल्ली में जो आत्महत्या की घटना हुई, उसके बारे में दिखाया गया। आत्महत्या अपनी जगह है। उसका एक कारण मैंने बताया। उस किसान का कितना नुकसान हुआ था, यह सब टेलीविजन चैनल्स में आ गया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। उस किसान का फ्रस्ट्रेशन आप समझ सकते हैं कि वह कितना हताश था और वह कितना मजबूर हो गया था कि वह अपनी जान लेने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन, माननीय गृह मंत्री जी, मुझे जो पूछना है, मुझे दो लोगों से बड़ी शिकायत है। एक तो 'आप' पार्टी और 'आप' के मुख्य मंत्री—इसका मतलब आपसे नहीं 'आप' पार्टी से और उसके मुख्य मंत्री और उसके मंत्रियों से है और दूसरी, पुलिस से है। मैंने जो टेलीविजन में देखा कि वह बेचारा ऊपर चढ़ा हुआ है और 'आप' के कई वर्कर्स उसे encourage कर रहे हैं, यूँ इशारा कर रहे हैं, जिसका मतलब यह था कि बेटे, तुम चढ़े रहो, तुम सूली पर चढ़ो और हम इसे बेचेंगे। तो अगर यह बात है, तब तो वे उस सुसाइड के पार्टी बन जाते हैं। वे जितने भी हैं, उनको आप टेलीविजन पर देख सकते हैं, जो सैकड़ों की तादाद में नीचे से उसको encourage कर रहे हैं। वे पार्टी हैं, वे उस आत्महत्या को न रोकने में या उस कत्ल में शरीक हैं। दूसरी बात, जो मैंने मुख्य मंत्री को बोलते देखा, जिन्हें बोलते हुए आप सबने देखा होगा, उससे दो प्रश्न उठते हैं। एक कहता है कि मैं 45 मिनट्स से पुलिस को कह रहा था। उसने exact '45 minutes' बताया। I quote, unquote कि '45 मिनट्स से मैं और मेरे साथी पुलिस को बता रहे थे कि आप उसकी जान बचाओ।' सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर आप 45 मिनट्स से देख रहे हैं कि किसी की जान जा रही है, तो आप अपना भाषण देते जायेंगे, आपके साथी अपना भाषण देते जायेंगे? आपके पास हजारों लोग हैं, तो आप क्यों नहीं उतर कर उनको भेजते हैं कि मैं भाषण नहीं करूँगा, उसको पहले उतारें। तो वे भी उसमें उतने ही बड़े दोषी हैं। अगर यह सत्य है, जो मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैं 45 मिनट्स से पुलिस को कह रहा था कि उसे बचाओ, तो वे पुलिस वाले भी 45 मिनट्स से क्यों वह तमाशा देख रहे थे? उन 45 मिनट्स में जब पुलिस वाले वहां नहीं गये, तो पुलिस वाले भी उसमें उतने ही दोषी हैं, जितने माननीय मुख्य मंत्री जी और 'आप' पार्टी के लोग हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। जाहिर है कि ये मुख्य मंत्री के बारे में तो नहीं बता पायेंगे...। वह मुख्य मंत्री को खुद सोचना चाहिए कि वह अपने आप को क्या सजा देंगे और वह अपने आप को मुजरिम समझते हैं या नहीं, उस वक्त उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी। वह चाहे न कहना चाहें, लेकिन अगर मेरे सामने कोई मर रहा हो तो मैं डॉक्टर को कहूँगा कि तुम आ जाओ, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है कि मैं अपने आप से प्रयास करूँ, उसको उठाऊँ और खुद हॉस्पिटल लाऊँ या खाली मैं चिल्लाऊँ कि डॉक्टर कहीं सुनेगा, आएगा और तब तक मरीज मर जाएगा। उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, वह तो कानून खुद देखेगा, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि अगर मुख्य मंत्री जी 45 मिनट तक पुलिस वालों से कहते हैं, तो वे पुलिस वाले भी उतने ही दोषी हैं। उनको तो सजा मिलनी चाहिए। वे क्यों नीचे बैठ कर तमाशा देख रहे थे? मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और माननीय प्रधान मंत्री जी, पूरे देश में जो यह किसानों की पीड़ा है, इसका हल निकालेंगे। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। किसानों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई इस पर राजनीति नहीं करना चाहता है, लेकिन सरकार फिर यह कह दे कि हमसे नहीं हो सकता, फिर बाहर क्यों कहेंगे कि हम यह भी करेंगे, वह भी करेंगे। जब हमने किसानों की पीड़ा देखी थी, तब हमने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपए

का कर्ज माफ किया था। उस समय हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। किसानों का 70 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना कोई आसान काम नहीं है। इस पर बहुत बहस चली थी, लेकिन जब किसान की पीड़ा देखी, तो हमने इसको किया।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि आज फसल के लिए किसानों ने जो कर्जा लिया है, क्या यह सरकार उसको माफ करेगी या नहीं करेगी? इसी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो यूपीए गवर्नमेंट में थी, माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन तब के माननीय कृषि मंत्री जी यहां हैं, मेरे ख्याल से गेहूँ, चावल और बाकी वस्तुओं की एक रिकॉर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी गई थी। आज तो पचास-पचास रुपए या तो न होने के बराबर दी जाती है या वह भी नहीं दी जाती है, तो ऐसी हालत में किसान मरेगा नहीं, आत्महत्या नहीं करेगा, तो क्या करेगा? आप उसका अनाज खरीदिएगा नहीं, आप ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी जमीन ले लीजिएगा, आप उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिएगा नहीं, तो वह क्या करेगा, उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाए और कौन-सा रास्ता है? इस तरह से आप उसके लिए रास्ता बना रहे हैं कि आत्महत्या करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि तुम्हारे पास जो कुछ है, वह भी हम तुमसे खिसका ले रहे हैं और अगर पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होता है, तो हम ऑर्डिनेंस के जरिए लाते हैं और अगर यह राज्य सभा में फेल होता है, तो हम ज्वाइंट सेशन बुला कर करते हैं। यह भूमिका है भारतीय जनता पार्टी की। कहने का मतलब है कि किसान से लेना है और उसको मारना है। मेरे ख्याल से अगर यही भावना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की रही, तो यह देश कैसे आगे बढ़ेगा? खाली भाषणों से देश आगे नहीं बढ़ेगा, इसके लिए इस देश की जो बुनियाद है, वह बुनियाद हमारा किसान है, वह खून-पसीना बहा कर अनाज पैदा करता है और तब हम यहां सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी भाषण करते हैं, तभी हम जिन्दा हैं और तभी हम योजनाएं बनाते हैं। आज इस देश का किसान मर गया, तो हम आपको किसी कोने में उनसे पहले मरे दिख जाएंगे।

अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से मेरा निवेदन है कि इस ऑर्डिनेंस बिल को वापस लिया जाए, जो हमारा कानून था, जो हमने बनाया था, जिसमें आप यानी एनडीए शरीक थी, जो 2013 का Land Acquisition Act बना है, उससे किसान संतुष्ट हो जाएगा। आप सभी वस्तुओं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दीजिए, इस तरह से किसानों का सम्मान होगा। इससे किसानों का सम्मान भी होगा और हल भी निकल जाएगा। इसके साथ ही साथ उनका जितना नुकसान हुआ है, वित्त मंत्री जी उनको उतना पैसा दे दें और उनको compensation दे दें। इसी तरह से जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उनके परिजनों को पैसा दे दें।

फूड मिनिस्टर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हिदायत दे दें कि जो अनाज खराब भी हुआ है, उसको वह खरीद ले। वह भी कई चीजों में लगता है, जो खाने के लायक है, उसको खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो खाने लायक नहीं है, उसको दूसरी अन्य चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हमारी जो पॉल्ट्री है, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये पांच-छः कदम केंद्रीय सरकार ले लेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारे देश के किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

† قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): ڈپٹی چیئرمین سر، ہم نے جو صبح نوٹس دیا تھا، وہ کسانوں کی دیش میں جو آج حالت ہے، اس کے چلتے دیا تھا۔ دیش میں کسانوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ راجیوں میں خودکشیاں تو ہوتی تھیں، لیکن کبھی بھی اتنی گمبھیر حالت نہیں ہوئی تھی کہ دہلی میں آکر کسی بھی کسان سبھا میں یا میٹنگ میں پیڑ پر چڑھ کر کوئی بھی کسان اپنے گلے میں رسی ڈالکر خودکشی کرے۔ ایسے حالات آج دیش میں پیدا ہوئے ہیں۔

سر، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس کے دو تین کارن کسانوں کی اس حالت کے لئے ہیں۔ ایک تو بے وقت جو بارش ہوئی، پورے دیش میں جو بے وقت اولے پڑے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فصل دیش میں رہی ہوگی، جو خراب نہیں ہوئی۔ میں جموں و کشمیر سے شروع کرتا ہوں۔ وہاں کشمیر وادی میں تو پھل سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سب میں فروری، مارچ کے مہینے میں پھول لگتے ہیں اور وہ پھل وہیں تک محدود نہیں رہتے ہیں، وہ پھل پورے دیش میں جاتے ہیں۔ وہ سب پھول گرگئے، کہیں پر نوے فیصد اور کہیں پر سو فیصد گرگئے۔ جموں میں گیہوں ہوتا ہے، اس کی فصل تباہ اور برباد ہو گئی۔ پنجاب، ہریانہ، یوپی سمیت جن جن پردیشوں میں گیہوں کی فصل ہوتی ہے، وہ برباد ہو گئی۔ سرسوں پورے دیش میں ہوتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تلہن کی فصل ہوتی ہے، وہ برباد ہو گئی۔ انگور برباد ہو گیا۔ یہاں پر ہمارے آنریبل ممبرس بتائیں گے کہ ان کے اپنے اپنے راجیوں میں کون کون سی کھانے پینے کی جو فصلیں ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم اس سدن میں دوپہر کا لنچ بریک کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب دوپہر کا کھانا کھانے کے لئے چلے جاتے ہیں۔ اس کھانے کو کون تیار کرتا ہے؟ آجھاس دیش میں سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، کارخانے بن رہے ہیں، پہلے بھی بن رہے تھے، پچھلے ساٹھ پینسٹھ سال میں بنے، لیکن آج سے چالیس یا پچاس سال پہلے اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اتنی زیادہ سڑکیں بنائیں، اتنے زیادہ اسپتال بنائیں، ہم زیادہ ادھیوگ لگائیں، ہم زیادہ روزگار پیدا کریں، کیوں کہ ہمارا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ باہر سے، ویش سے، روس سے گیہوں لانے میں اور کھانے پینے کی کئی چیزیں لانے میں خرچ ہوتا تھا۔ سب سے کشل سرکار وہی مانی جاتی تھی کہ جس میں شمٹا ہو کہ وہ باہر کے دیشوں سے کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرے، ویشیش روپ سے گندم ہم باہر کے دیشوں سے لاتے تھے۔ لیکن آج ان پینسٹھ سالوں میں جہاں زمین کئی گنا گھٹ گئی ہے، آزادی سے لیکر اگر دیکھیں گے، تو چار گنا ہماری آبادی بڑھی ہے اور اگر زمین دیکھیں گے، تو وہ کئی گنا گھٹ گئی ہے، کیوں کہ فلڈ میں جاتی ہے، سڑکیں بنتی ہیں، لوگوں کے گھر بن گئے ان پر انڈسٹریز آگئی، ان پر ریل گاڑیاں بنی، پٹریا بنیں، ہاسپٹل، کالج، یونیورسٹیاں بنیں، یہ تمام چیزیں اسی زمین پر بنی ہیں۔ آج بھی زمین چنٹا کا وشے ہے۔ یہ جو آج آرہا ہے، یہ بھی اسی لیے تھا کہ ہم آج اناج میں خودکفیل Land Acquisition Bill ہو گئے ہیں۔

آج ہم ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں۔ یو پی اے کے بارے میں تو دیش ویش میں بہت بتایا جاتا ہے کہ پچاس سال کا کچرا صاف کیا جا رہا ہے، لیکن یہی کانگریس پارٹی ہے، جس نے اس دیش میں دیگر ان کی Minimum Support Price لاکر، ایگریکلچرسٹ کو، کسان کو Green Revolution سہائتا، ان کی مدد کی۔ آج رشیا سے کوئی اناج نہیں مانگتا۔ ہم دوسرے دیشوں سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں مانگتے ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج یہاں سے درجنوں دیشوں میں اناج بھیجتے ہیں۔ ہم جب کینیٹ میں تھے اور ہمارے کرسی منتری شری شردپوار جی یہاں بیٹھے ہیں، ہم

† Transliteration in Urdu Script.

کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہمارے فوڈ منسٹر بھی export کہتے تھے اناج کے بھنڈار ہوں اور زیادہ کیسے ہوگا، آپ چالیس سال ایکسپورٹ کی export کیا جائے۔ یہ export ایسے ہی کہتے ہونگے کہ نہیں امپورٹ کی بات کرتے تھے۔ آپ 32 کروڑ آبادی کے لئے امپورٹ کرتے تھے، ہم کرتے تھے اور ہمارا دیش کرتا تھا، لیکن آج 125 کروڑ آبادی، چار گنا زیادہ ہوکر بھی ہم امپورٹ نہیں کرتے ہیں، آج ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو یہی پچاس سال کا کچرہ آج ہمارے پردھان منتری جی باہر صاف کر رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ 32 کروڑ آبادی کے لئے امپورٹ کرتے تھے اور آج 125 کروڑ آبادی کو کھلاکر بھی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کسانوں کی خون پسینے کی محنت اور جو سرکاریں تھیں، ان کی نیتیاں پنڈت جواہر لال نہرو سے لیکر ڈاکٹر منموہن سنگھ جی تک جو پردھان منتری رہے، چاہے ان میں اٹل جی بھی رہے ہوں، ان کا بھی یوگدان رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خالی کانگریس کا ہی یوگدان رہا ہے۔ میں دوسری پارٹیوں کے لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ وہ صرف اپنے سال باہر نکال دیتے ہیں اور ہمارے سال خالی وہیں ودیش میں گنتے ہیں، کے لئے Green Revolution اور نہ ہی ہماری پارٹی ایسی نیتیاں پر وشواس رکھتی ہے۔ ہم نے بھی لوگوں کی مدد کی ہے۔ پنڈت جواہر لعل نہرو نے بھاکڑہ ڈیم کی پانچ سالہ پلان کی یوجنا رکھی تھی۔ وہ پنڈت جواہر لعل نہرو ہی تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بھاکڑہ ڈیم ہمارے مندر اور گرو دوارے ہیں، تب انہوں نے سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب 125 کروڑ آبادی آئے گی اور 150 کروڑ آبادی بھی آئے گی، تو ہمیں روس یا امریکہ پر زبھر نہیں رہنا چاہئے۔ انہوں نے اپنے دیش کے لئے اریگیش کے لئے بھاکڑہ ڈیم اور اسی طرح کے اور ڈیم بھی بنائے اور اندرا گاندھی سے لیکر راجیو گاندھی تک اور آج تک سیکڑوں ڈیم بن رہے ہیں اور بنے ہیں، جن کی وجہ سے آج 125 کروڑ جنتا کا پیٹ پال کر یہ دیش ودیشوں میں اناج بھیجتا ہے اور ہمارے جیسے دیشوں میں، جہاں چالیس یا پچاس سال پہلے پیٹ بھرنے کے لئے اناج نہیں ملتا تھا، آج ان کا پیٹ اسی ہندستان کی سرکار اور ہندستان کے کسان اور مزدور بھرتے ہیں۔ وہ کسان اور مزدور بھرتے ہیں۔ وہ کسان اور مزدور آج خطرہ میں ہیں۔ آج ان کی زمین چلی گئی ہے، ان کی زمین سڑکوں کے نیچے چلی گئی ہے، جو کہ ضرورتیں ہیں، بڑی سڑکیں یا چھوٹی سڑکیں۔ جو ریل کی پٹریاں بنی ہیں، ان کے نیچے کسانوں کی زمین چلی گئی۔ جو یہ 125 کروڑ آبادی بنی ہے، ان کے گھر اور ان کی دکانیں، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس جو ان کی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کے لئے ان کی زمین لی جارہی ہے۔ ہم نے یہی دیکھا تھا اور انوبھو کیا تھا۔

اُپ سہاپتی جی، جب میں چیف منسٹر تھا، تو میں اپنے گاؤں میں گیا، جہاں ہمارے دادا جی رہتے تھے۔ انہوں نے اور گاؤں کے اور لوگوں نے کہا کہ یہاں سڑک نہیں ہے، لیکن لیڈر لوگ تو کہتے ہیں کہ سڑک ہے۔

ہم نے کہا کہ پی۔ایم۔جی۔ایس۔وائی۔ میں سڑک بناؤ، ایک سال کے بعد ہم ادگھاٹن کرنے آئیں گے۔ ایک سال کے بعد جب ہم ادگھاٹن کرنے گئے، تو مجھے رونا آیا اور افسوس ہوا کہ یہ سڑک کیوں بنائی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا سواگت ہوگا کہ ایک سال کے اندر سڑک بنی، لیکن وہ رو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مائٹے مکھیہ منتری جی، مکھیہ منتری بن کر تو آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ہمارے ساتھ انیائے کیا، ہمیں ختم کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2-2، 3-3، کنال زمین تھی۔ ہمارے یہاں زمین ایکڑ میں نہیں ہے، ایک ایکڑ میں 8 کنال زمین ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک چوتھائی ایکڑ کی زمین تھی، تو کیا، لیکن اسے ایکواٹر کر کے سڑک resist وہ ایکواٹر کر لی گئی۔ ہم میں سے کسی نے بنائی گئی اور ہمارے پاس اب پلائن کرنے کے سوائے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ زمین تو چلی گئی۔ ہم 2013 میں لینڈ ایکویزیشن بل لائے تھے، تو وہ کسی انوبھو کے آدھار پر لائے تھے۔

ہمارا یہ انوبھو تھا کہ اس دیش میں سڑکیں بھی چاہئیں، اس دیش میں نہریں بھی چاہئیں، بجلی بھی چاہئے، باقی پروجیکٹس بھی چاہئیں، لیکن 150-200 سال پہلے انگریزوں کے زمانے میں 1894 میں جو قانون بنا کہ جب بھی سرکار کی مرضی ہوگی، وہ زمین لے لیگی، وہاں پٹواری اور تحصیل دار کی جو بھی مرضی ہوگی، وہ لکھ دیگا کہ اس کی قیمت 10 ہزار ہے، اس کی قیمت 5 ہزار ہے، اس کو 10 ہزار دے دو، اس کو 5 ہزار دے دو۔ ممکن ہے کہ آج سے 50 سال، 100 سال پہلے اس زمین کی قیمت ہوگی، لیکن آج زمین کی وہ قیمت نہیں ہے۔ ہم سڑک بنا دیتے ہیں، ہم پل بنا دیتے ہیں، ہم دوکان کے لئے، ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشن کے لئے زمین لیتے ہیں اور وہ چھوٹا زمیندار بے گھر ہو جاتا ہے، وہ سڑک پر آ جاتا ہے۔ اسی لئے اپنے انوبھو سے یو۔پی۔اے۔ گورنمنٹ لینڈ ایکویزیشن بل لائی تھی۔ اسی بھارتی جنتا پارٹی، جس کی آج سرکار ہے، اس کے نیتاؤں نے امینڈمنٹ کئے، ہم نے ان امینڈمنٹ کو سویکار کیا اور وہ قانون بنا۔ کیا بدل گیا؟ وہ ادھر سے ادھر گئے اور ہم ادھر سے یہاں آگئے اور سب کچھ بدل گیا کہ آپ نے جو لینڈ ایکویزیشن قانون بنایا تھا، وہ غلط ہو گیا۔ اب زمین اس کے لئے بھی چاہئے، اس کے لئے بھی چاہئے، کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم پوچھے بغیر لے لیں۔ ہماری مرضی This is، کسی کا گھر لے لیں یا زمین لے لیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے۔
 کہ اس گورنمنٹ کے چلتے اس دیش کا، کسان کا اس گورنمنٹ سے وشواس اٹھ گیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یو۔پی۔اے۔ گورنمنٹ نے اس وقت یہاں ہمارے اپوزیشن کے ساتھیوں سے سپیوگ کرکے، بات کرکے، یہ قانون بنایا تھا کہ اب ان کو چار گنا، پانچ گنا اس کا معاوضہ ملے گا، جب تک یہاں کے 70 فیصد، 80 فیصد لوگ اجازت نہیں دیں گے، کنسینٹ نہیں دیں گے، منظوری نہیں دیں گے، تب Social Impact Assessment تک ہم اس زمین کو نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم نے اس میں رکھا تھا کہ اس میں آس پاس کے لوگ ہیں، ان پر اس کا کیا امپیکٹ پڑا۔ جب ہم clause پہاڑوں میں زمین لیتے ہیں، تو ہم ایک آدمی کی زمین لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس زمین کو کھودتے ہیں، تو نیچے والے چار لوگ ہوتے ہیں، جن کی زمین ہم نے نہیں لی ہوتی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے۔ یہ اس اسسٹمنٹ میں آتا ہے کہ اس کا ان لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ ہے۔ ہم نے وہ بھی ہٹا دیا۔ اگر آج کسان خودکشی کرتا ہے، تو اس کو دو دکھ ہے، دو کارن ہیں۔ ایک ہے سرکار پر اوشواس۔ چاہے دیر سے ہی وہ قانون بنا، میں تو سوچتا ہوں کہ 40 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ قانون بننا چاہئے تھا، لیکن ہم نے قانون بنا لیا۔ اب لوگوں کو وشواس آتا تھا کہ ہم اپنی زمین کے مالک ہیں، چاہے ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے مالک ہیں۔

ان کو اب لگتا ہے کہ ہم کو اس مالکانہ حق سے پھر سے ونچت کر دیا جائے گا اور جب بھی سرکار کی مرضی آئے گی، تب وہ ہم سے ہماری زمین ہتھیا لے گی۔

دوسرا، اس دفعہ اوپر سے ہم پر اللہ کی، بھگوان کی، واہے گرو کی ایسی مار پڑ گئی اور یہ بارش پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اب تو ہم موسم ہی بھول گئے ہیں کہ موسم کیا ہوتا ہے، رینی سیزن کیا ہوتا ہے، آٹم کیا ہوتا ہے، ونٹر کب ہوتا ہے اور اسپرنگ کب ہوتا ہے؟ کم سے کم کشمیر میں تو ہم یہ چار موسم ہمیشہ سے دیکھتے آئیں ہیں، لیکن ایک سال سے وہاں پر بھی یہ چاروں موسم نہیں دیکھے جا رہے ہیں۔ پچھلے ستمبر سے لے کر آج تک برابر بارش چل رہی ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ آگے بھی یہ چلتی رہے گی۔ پورا دیش، مہاراشٹر سے لے کر یو۔پی۔ تک، بہار سے لے کر بنگال تک اور پنجاب سے لیکر ہریانہ تک، سبھی اس کی چیپٹ میں آ گئے ہیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ اولے بھی گر رہے ہیں۔ مجھے کچھ مہاراشٹر کے ساتھی بول رہے تھے کہ ہم نے پہلی دفعہ

برف دیکھی ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ برف کیسی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ اتنی موٹی تھی، گول تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ برف نہیں تھی، اولے تھے۔ اس میں ان کا قصور بھی ہے، کیوں کہ جب آدھا آدھا فٹ اولے پڑے، تو وہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر بھی کشمیر جیسی برف بن گئی ہے۔

مہودے، اس طرح ایک طرف تو کسانوں پر سرکار کی مار پڑ رہی ہے، کیوں کہ وہ لینڈ ایکویزیشن بل کو لے کر ایسی اڑی ہوئی ہے، ایسی اڑی ہوئی ہے، جیسے وپکش سے ہی کچھ لیکر جانا ہو۔ اگر ہم سے کچھ چھین لینا چاہتے ہیں، تب تو آپ اڑ جائیے، لیکن اس غریب کسان کے پاس دینے کے لئے کیا ہے؟ اس کے پاس تو ایک جھونپڑی ہے، چھوٹی سی زمین ہے اور کھانے کے لئے دو وقت کی روٹی ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ زیادہ زمین ہے بھی، تو اس زمین سے ہندوستان کے 125 کروڑ لوگوں کو بھی تو وہی پالتا ہے۔ اس پر بھی یہ سرکار ایسی ڈٹی ہوئی ہے، جیسے اس کو کسانوں سے کوئی بدلا لینا ہو کہ ہم تو یہ قانون پاس کر کے ہی رہیں گے، یہ آرڈی-نینس لاکر ہی رہیں گے۔

مہودے، میں مائٹے ایگریکلچر منسٹر کے مادھیم سے مائٹے پردھان منتری جی سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ضد پر قائم نہیں رہیں۔ یہ جو لینڈ ایکویزیشن آرڈی-نینس ہے، اس کو پاس کرانے کی جو ضد انہوں نے ٹھانی ہے، اس ضد کو وہ چھوڑ دیں اور اس دیش کے لاکھوں کروڑوں کسانوں کی زندگیوں کو بچا لیں، ورنہ اس طرح کی خودکشیاں ہوتی ہی رہیں گی۔ شرد یادو جی ٹھیک بول رہے تھے کہ اب تو یہ خودکشیاں ہمارے سر پر ہی پہنچ گئی ہیں، پارلیمنٹ کے نزدیک پہنچ گئی ہیں۔ اب یہ مدھیہ پردیش، گجرات، راجستھان، ہریانہ و دوسرے دیگر راجیوں تک ہی سیمت نہیں رہ گئی ہیں، اب یہ دہلی میں ہمارے گھروں کے سامنے، پارلیمنٹ کے پاس پہنچ گئی ہیں، جو ڈیموکریسی کا مندر ہے۔ معلوم نہیں کہ کب، کون، کہاں پر خودکشی کر لے گا۔ میرا آپ سے نویدن ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں، ہم ان کو سانس لینے دیں۔

میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ مائٹے پردھان منتری جی نے الیکشن کیمپین کے دوران ایک بات کہی تھی، جب وہ الیکشن کیمپین کمیٹی کے چیئرمین تھے اور بھارتی جنتا پارٹی کی اور سے پردھان منتری عہدے کے کینڈیڈیٹ تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آنے کے بعد ان خودکشیوں پر روک لگے گی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد خودکشیوں پر روک تو کیا ہی لگی، لیکن ہریانہ میں، جہاں پر کبھی خودکشی ہوتی ہی نہیں تھی، وہاں بھی کسانوں نے خودکشی کرنی شروع کر دی۔ راجستھان میں کبھی کوئی کسان خودکشی نہیں کرتا تھا، وہاں پر بھی یہ پہنچ گئی۔ اور تو اور دہلی کی کسی ریلی میں کسانوں کے مدعے کو لے کر کبھی کسی نے کوئی خودکشی نہیں کی تھی، آج تو یہ وہاں پر بھی پہنچ گئی ہے۔

دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ ساہوکاروں کو ختم کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ساہوکاروں کو ختم کہاں کیا، آج تو انہیں کا راج چل رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مائٹے پردھان منتری جی کو دیش کے ساتھ، غریب کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ اپنے الیکشن کیمپین کے وقت کا وعدہ پورا کرنا چاہئے۔

مہودے، مائٹے ایگریکلچر منسٹر سے میرا پہلا سوال یہ ہے، انہیں یہ بتانا چاہئے کہ کیندریہ سرکار کی طرف سے ابھی تک کس کس راجیہ سرکار کو کتنا کتنا پیسہ دیا گیا ہے؟ کس کس راجیہ نے اپنی طرف سے اور کیندریہ سرکار کی طرف سے کتنا کتنا کسانوں کو بانٹا ہے؟

میرا دوسرا سوال یہ ہے، ابھی مائٹے ایگریکلچر منسٹر صاحب خود ہی غائب ہو گئے ہیں۔

سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جن کسانوں نے خودکشی کی ہے، ان کو کتنا کیمپین دیا جا رہا ہے، کتنوں کو ابھی تک دیا اور کتنوں کو دینے والے ہیں؟

میرا تیسرا سوال مائٹے فوڈ منسٹر سے ہے۔ یہاں مجھے کسی نے بتایا کہ ایف۔سی۔آئی۔ نے کہا ہے کہ جس میں 15 فیصد مائشچر ہوگا، 15 فیصد تو بہت کم ہے، لیکن 15 فیصد اور اس کے اوپر مائشچر ہوگا، تو اس کو خریدا نہیں جائے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہاں تو بتایا گیا ہے۔ میں نے مائٹے پردھان منتری جی کی اسپیچ دیکھی تھی اور وہ بالکل ہاتھ سے بھی دکھا رہے تھے کہ اگر اتنا تھوڑا سا کالا یا خراب بھی ہوگا، تو ہم سب خریدیں گے۔ لیکن، ایسا تو نہیں لگتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار اپنے بھاشنوں میں ایک بات بولتی ہے، مائٹے پردھان منتری جی کے بھاشنوں میں ایک بات بولتے ہیں اور فوڈ کارپوریشن آف انڈیا دوسرا نوٹ بھیجتی ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ جو بھاشن میں ہے، کیا وہی ایف۔سی۔آئی۔ پروکیورمینٹ کرتے وقت زمین پر لاگو کرتی ہے، اس میں کہیں تال میل ہے یا ان میں الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو اس میں مائشچر کتنا ہے یا وہ کتنے فیصد خراب ہے، چاہے وہ اناج ہے یا گیہوں ہے یا پیڈی ہے۔؟ دیش میں الگ الگ جگہوں میں کھانے پینے کی الگ الگ چیزیں خراب ہوئی ہیں، لیکن ہم تو فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ذریعے زیادہ تر یہی دو چیزیں خریدتے ہیں، رائس اور وہیٹ۔ تو ان کے بارے میں، میں مائٹے فوڈ منسٹر سے جاننا چاہوں گا۔

اب میں چوتھی بات کی طرف مائٹے گرہ منتری کا دھیان دلانا چاہتا ہوں، خاص طور سے کل کی گھنٹا کی اور۔ میں جب جگناتھ پوری میں تھا۔ میں جے۔بی۔ پٹنائک جی کو انتم سنسکار کے لئے گیا تھا۔ وہاں کچھ گھنٹے کرنا پڑا۔ جب تک ان کی باڈی آئی، تو میں تقریباً تین چار گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتا رہا۔ اس وقت تمام ٹیلی ویژن چینلس پر دہلی میں جو خودکشی کی گھنٹا ہوئی، اس کے بارے میں دکھا یا گیا۔ خودکشی اپنی جگہ ہے۔ اس کا ایک کارن میں نے بتایا۔ اس کسان کا کتنا نقصان ہوا تھا، یہ سب ٹیلی ویژن چینلس میں آ گیا ہے۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس کسان کا فرسٹریشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہتاش تھا اور وہ کتنا مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جان لینے کے لئے بھی تیار ہو گیا۔ لیکن، مائٹے گرہ منتری جی، مجھے جو پوچھنا ہے، مجھے دو لوگوں سے بڑی شکایت ہے۔ ایک تو 'آپ' پارٹی اور 'آپ' کے مکھیہ منتری - اس کا مطلب آپ سے نہیں 'آپ' پارٹی سے اور اس کے مکھیہ منتری اور اسکے منتریوں سے ہے اور دوسری، پولیس سے ہے۔ میں جو ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ وہ بیچارا اوپر چڑھا ہوا ہے اور 'آپ' کے کر رہے ہیں، یوں اشارہ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ encourage کئی ورکرس اسے بیٹھے، تم چڑھے رہو، تم سولی پر چڑھو اور ہم اسے بیچیں گے۔ تو اگر یہ بات ہے، تب تو وہ اس سوسائڈ کے پارٹی بن جاتے ہیں۔ وہ جتنے بھی ہیں، ان کو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے کر رہے ہیں۔ وہ پارٹی ہیں، وہ encourage ہیں، جو سیکڑوں کی تعداد میں نیچے سے اس کو اس خودکشی کو نہ روکنے میں یا اس قتل میں شریک ہیں۔ دوسری بات، جو میں نے مکھیہ منتری کو بولتے دیکھا، جنہیں بولتے ہوئے آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ اس سے دو سوال اٹھتے ہیں۔ ایک کہتا I بتایا۔ '45 minutes' exact ہے کہ میں 45 منٹ سے پولیس کو کہہ رہا تھا۔ اس نے کہ '45 منٹ سے میں اور میرے ساتھی پولیس کو بتا رہے تھے کہ آپ اس quote, unquote کی جان بچاؤ'۔ سب سے پہلے مائٹے مکھیہ منتری جی، اگر آپ 45 منٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی جان جا رہی ہے، تو آپ اپنا بھاشن دیتے جائیں گے، آپ کے ساتھی اپنا بھاشن دیتے جائیں گے؟ آپ کے پاس ہزاروں لوگ ہیں، تو آپ کیوں نہیں اتر کر ان کو بھیجتے ہیں کہ میں بھاشن نہیں کروں گا۔ اس کو پہلے اتاریں۔ تو وہ بھی اس میں اتنے ہی بڑے دوشی ہیں۔ اگر یہ

سچ ہے، جو مکھیہ منتری کہتے ہیں کہ میں 45 منٹ سے پولیس کو کہہ رہا تھا کہ اسے بچاؤ، تو وہ پولیس والے بھی 45 منٹ سے کیوں وہ تماشہ دیکھ رہے تھے؟ ان 45 منٹ میں جب پولیس والے وہاں نہیں گئے، تو پولیس والے بھی اس میں اتنے ہی دوشی ہیں، جتنے مائٹے مکھیہ منتری جی اور 'آپ' پارٹی کے لوگ ہیں۔ مائٹے گرہ منتری جی یہاں بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مکھیہ منتری کے بارے میں تو نہیں بتا پائیں گے۔

وہ مکھیہ منتری کو خود سوچنا چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سزا دیں گے اور وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں یا نہیں، اس وقت ان کی کیا بھومیکا ہونی چاہیئے تھی۔ وہ چاہے نہ کہنا چاہیں، لیکن اگر میرے سامنے کوئی مر رہا ہو تو میں ڈاکٹر کو کہوں گا کہ تم آجاؤ، میرا کوئی فرض نہیں بنتا ہے کہ میں اپنے آپ سے پریاس کروں، اس کو اٹھاؤں اور خود ہسپتال لاؤں یا خالی میں چلاؤں کہ ڈاکٹر کہیں سُنے گا، آئے گا اور تب تک مریض مرجائے گا۔ اس کی کیا بھومیکا ہونی چاہئے، وہ تو قانون خود دیکھے گا، لیکن میں مائٹے گرہ منتری جی کا دھیان آکرشت کرانا چاہتا ہوں کہ اگر مکھیہ منتری جی 45 منٹ تک پولیس والوں سے کہتے ہیں، تو وہ پولیس والے بھی اتنے ہی دوشی ہیں۔ ان کو تو سزا ملنی چاہئے۔ وہ کیوں نیچے بیٹھ کر تماشہ دیکھ رہے تھے؟ مجھے پورا وشواس ہے کہ مائٹے گرہ منتری جی اس پر ہوری کارروائی کریں گے اور مائٹے پردھان منتری جی، پورے دیش میں جو یہ کسانوں کی پیڑا ہے اس کا حل نکالیں گے ہم کوئی راج نیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسانوں پر کوئی راجنیتی نہیں ہونا چاہئے، کوئی اس پر راجنیتی نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن سرکار پھر یہ کہہ دے کہ ہم سے نہیں ہوسکتا۔ پھر باہر کیوں کہیں گے کہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، جب ہم نے کسانوں کی پیڑا دیکھی تھی، تب ہم نے کسانوں کا ستر ہزار کروڑ روپے کا قرض معاف کیا تھا۔ اس وقت ہماری سرکار تھی، یوپی اے کی سرکار تھی، منموہن سنگھ جی کی سرکار تھی۔ کسانوں کا ستر ہزار کروڑ روپے کا قرضہ معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس پر بہت بحث چلی تھی، لیکن جب کسان کی پیڑا دیکھی، تو ہم نے اس کو کیا۔

میں سرکار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج فصل کے لئے کسانوں نے جو قرض لیا ہے، کیا یہ سرکار اس کو معاف کریگی یا نہیں کریگی؟ اسی طرح سے منیم سپورٹ پرائز، جو یوپی اے سرکار میں تھی، مائٹے پردھان منتری جی یہاں نہیں ہیں، لیکن تب کے مائٹے کرشی منتری جی یہاں ہیں، میرے خیال سے گیہوں، چاول اور باقی چیزوں کی ایک ریکارڈ منیم سپورٹ پرائز دی گئی تھی۔ آج تو پچاس پچاس روپے یا تو نہ ہونے کے برابر دی جاتی ہے یا وہ بھی نہیں دی جاتی ہے، تو ایسی حالت میں کسان مریگا نہیں، خودکشی نہیں کرے گا، تو کیا کریگا؟ آپ اس کا اناج خریدیئے گا نہیں، آپ آرڈننس کے ذریعے اس کی زمین لے لیجئے گا، آپ اس کو منیم سپورٹ پرائز دیجئے گا نہیں، تو وہ کیا کریگا، اس کے سامنے خودکشی کرنے کے سوائے اور کون سا راستہ ہے؟ اس طرح سے آپ اس کے لئے راستہ بنا رہے ہیں کہ خودکشی کرو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، وہ بھی ہم تم سے کھسکا لے رہے ہیں اور اگر پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں ہوتا ہے تو ہم آرڈننس کے ذریعہ لاتے ہیں اور اگر یہ راجیہ سبھا میں فیل ہوتا ہے، تو ہم جوائنٹ سیشن بلا کر کرتے ہیں۔ یہ بھومیکا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کسان سے لینا ہے اور اس کو مارنا ہے۔ میرے خیال سے اگر یہی بھاؤنا بھارتیہ جنتا پارٹی اور این ڈی اے کی رہی، تو یہ دیش کیسے آگے بڑھے گا؟ خالی بھاشنوں سے دیش آگے نہیں بڑھے گا، اس کے لئے اس دیش کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد ہمارا کسان ہے، وہ خون پسینہ بہا کر اناج پیدا کرتا ہے اور تب ہم یہاں سدن کے اندر بھی اور سدن کے باہر بھی بھاشن کرتے ہیں، تبھی ہم زندہ ہیں اور تبھی ہم یوجنائیں بناتے ہیں۔ آج اس دیش کا کسان مر گیا، تو ہم آپ کو

کسی کونے میں ان سے پہلے مرے دکھ جائیں گے۔

اپنی پارٹی کی طرف سے، ہمارے ساتھیوں کی طرف سے میرا نویدن ہے کہ اس آرڈیننس بل کو واپس لیا جائے، جو ہمارا قانون تھا، جو ہم نے بنایا تھا، جس میں آپ یعنی این ڈی اے شریک تھے، بنا ہے، اس سے کسان مطمئن ہو جائے گا آپ سبھی Land Acquisition Bill جو 2013 کا چیزوں کی منیمم سپورٹ پرائز بڑھا دیجئے، اس طرح سے کسانوں کا سمان ہوگا۔ اس سے کسانوں کا سمان بھی ہوگا اور حل بھی نکل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا جتنا نقصان ہوا ہے، فائننس دی دیں۔ اسی طرح سے جن compensation منسٹر صاحب ان کو اتنا پیسہ دی دیں اور ان کو لوگوں نے آتم ہتھیا کی ہے، ان کے پریجنوں کو پیسہ دی دیں۔

فوڈ منسٹر، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو ہدایت دی دیں کہ جو اناج خراب بھی ہوا ہے، اس کو وہ خرید لے۔ وہ بھی کئی چیزوں میں لگتا ہے، جو کھانے کے لائق ہے، اس کو کھانے میں استعمال کیا جاسکتا ہے جو کھانے لائق نہیں ہیں، اس کو دوسری چیزوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جیسے ہماری جو پالیٹری ہے، اس میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ پانچ چھ قدم مرکزی سرکار لے لیگی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے ہمارے دیش کے کسانوں کی سمسایوں کا سمادھان ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہیں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں۔ شکریہ۔

”ختم شد“

श्री विनय कटियार (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, विपक्ष के नेता ने बड़ा मार्मिक भाषण देने का काम किया, जिसका मुख्य विषय किसानों की आत्महत्या, बाढ़ या ओलावृष्टि को न बनाते हुए उन्होंने भूमि अधिग्रहण को बनाया है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की बातें कहीं कि उन्होंने बड़े-बड़े कारखाने लगाए और भाखड़ा-नागल बांध बनवाने का कार्य किया, लेकिन उसमें भी तो जमीन लगी होगी। आखिर बिना जमीन लगे तो कोई काम हो नहीं सकता। उस समय जितने भी बड़े-बड़े कारखाने लगे, उनके लिए

[उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) पीठासीन हुए]

किसानों से जमीन लेने का काम किया गया। अगर वह जमीन न ली जाती, तो देश का विकास भी नहीं होता। आज वही काम एनडीए की सरकार करना चाह रही है, लेकिन दूसरी सरकार यह श्रेय न ले पाए और राजनीति में जो सत्ता हाथ से चली गई वह फिर कैसे मिले, उसका वातावरण अभी से तैयार करने की एक योजना बनाई जा रही है।

मैं यह समझता हूँ कि पिछले दिनों भूमि अधिग्रहण का जो भी कानून बना, उस पर राज्य सभा में मुझे भी बोलने का मौका मिला था। उस समय भी हम लोगों ने सुझाव रखे थे। उसमें मुआवजे की जो राशि तय की गई थी, वह सच में बहुत कम थी। हम लोगों ने उस समय एक और बात कही थी कि जिसकी जमीन ली जाए, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया जाए। आपने नौकरी देने का काम नहीं किया और बिल को वैसे ही तैयार किया। हम यह नहीं कहेंगे कि वह खराब बिल था, लेकिन एक प्रगति तो होती है। अगर उसमें से ...**(व्यवधान)**... क्या बोले भाई?

श्री वी. हनुमंत राव (तेलंगाना): अगर एक घर में चार लड़के हों और एक को नौकरी दे भी दें, तब भी बाकी तीन तो बेकार ही रहेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: चलिए, वह भी देख लेंगे। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय भी उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा और ग्रेटर नोएडा बन गए। पहले वहां किसानों की भूमि थी, लेकिन आज अगर वहां के किसानों की स्थिति देखी जाए, तो मालूम होगा कि वहां के किसानों की हालत बहुत खराब है। उस समय किसानों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था, वह उनको नहीं मिला। अगर आज के समय में वे जमीनें अधिगृहीत की जातीं, तो कदाचित्त उनको अच्छा मुआवजा मिलता। हम उससे भी अच्छा मुआवजा देना चाहते हैं। अगर हम जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो अच्छे काम के लिए करेंगे। आपने कहा कि हमने रेलवे लाइंस बिछाईं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के समय में जितनी किलोमीटर्स रेलवे लाइंस बिछ गई थीं, उनसे और ज्यादा रेलवे लाइंस बिछाने का काम नहीं हुआ, लेकिन हां, दोहरीकरण का काम हुआ, लाइंस दोहरीकृत की गईं। अगर उन्हीं जमीनों से दूसरे स्थानों पर भी रेलवे लाइंस पहुँचाई जातीं, तो उसमें भी जमीनें लगतीं। कुछ स्थानों पर तो उन्हें पहुँचाने का काम हुआ है, लेकिन वह भी बहुत कम जगहों पर हुआ है। अगर उनके लिए भी यह प्रयास किया जाता तो और जमीन लगती। इसलिए मेरा यह कहना है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ, उस समय से लेकर आज तक जो भी फैक्ट्रियां लगी हैं, हवाई अड्डे बने हैं — अब दिल्ली के अंदर ही इतना बड़ा दूसरा हवाई अड्डा बन गया, आखिर वहां भी तो किसानों की जमीन ली गई होगी। उस समय क्या उसी प्रकार किसानों को मुआवजा देने का काम किया गया? देश के अंदर बहुत जगह ऐसे हवाई अड्डे बन गए, जहां किसानों की जमीनें चली गई हैं। क्या उन किसानों को मुआवजा देने का काम किया गया? जब से देश स्वतंत्र हुआ, तब से अगर अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए और इस समय हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जितना कार्यकाल बीता है, उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी शासन तो आपका रहा। तो जितना भी लूटने का काम हुआ है, जमीनों को इधर से उधर करने का काम हुआ है, यह किसने किया आप जानो। लेकिन उसमें हुआ जरूर है, भारी गोलमाल हुआ है। अब यह किसने किया इस पर तो विचार करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि फिर नहरें बनें, किसानों के खेतों में पानी जाए, तो इन सबके लिए तो जमीन लगेगी। अगर हमको नहर निकालनी है तो उसके लिए हमको जमीन चाहिए, जमीन हमको लेनी पड़ेगी। अब लेकिन आप उसी का विरोध करेंगे कि आप नहर मत बनाओ, तो पानी कहां से आएगा? बिजली तो आप उतनी नहीं दे पा रहे हो, बिजली के लिए भी कारखाने लगाए जा रहे हैं, तो उनको भी जमीन चाहिए। पावर हाउस बन रहे हैं तो उनके लिए भी जमीन चाहिए। अभी और भी पावर हाउस बनेंगे। जितने बन गए उनसे तो अकेले काम नहीं चलने वाला है, अभी तो और भी पावर हाउस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि यह सतत प्रक्रिया है। यह बात ठीक है, आपने कही है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय से अभी तक जमीनें बहुत सारी सड़कों में, कारखानों में जा चुकी हैं। लेकिन अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए अपने को प्रयास करना पड़ेगा। जब कुछ बांध बनेंगे, अभी नदियां जोड़ने का अगर अभियान चलेगा तो नदियां जोड़ने के अभियान में भी हमको जमीन चाहिए। उसके लिए भी किसान से जमीन लेनी पड़ेगी, नहीं तो नदियां कैसे जुड़ेंगी? नदियां जोड़ने का अभियान चलाने की बात चल रही है, उसकी चर्चा चल रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से वह योजना प्रारम्भ की गई थी, जो वह बीच में रुक गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने चौड़ी सड़कें बनाने का काम प्रारम्भ किया। उसके कारण देश के अंदर लगा कि "प्रधान मंत्री

[श्री विनय कटियार]

ग्राम सड़क योजना" यह उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। लम्बी-चौड़ी सड़कें बनाने का काम इस देश को जोड़ने का काम, राज्यों को जोड़ने का काम, यह अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुआ और जब यह देखा कि इतनी बढ़िया सड़कें बन गईं तो सड़कों की आवश्यकता है। आज आपको जो बड़ी सड़क दिखाई देती है, रात में दिखाई देती है वह बड़ी है लेकिन दिन में वह छोटी सड़क दीखने लगती है। इतना साधन बढ़ गया है कि अभी सड़कें और चौड़ी करने की आवश्यकता है, फोर लेन है, अब फोर लेन की जगह सिक्स लेन बनाने की बात चल रही है। सड़कों की आवश्यकता है। तो उसमें अगर हम कहते हैं कि हम जमीन लेंगे, तो जिस किसान की जमीन लेंगे उसको मुआवजा भी देंगे और उसके साथ-साथ उसके परिवार के एक बच्चे को नौकरी भी देंगे। अब यह नौकरी देने का प्रावधान भी हम लोगों ने किया है। तो हम कहां जबर्दस्ती जमीन ले रहे हैं? पैसा भी दे रहे हैं और साथ ही वे जिला अदालत भी जा सकते हैं, वहां पर भी उसके केस का निबटारा हो सकता है। उसमें प्रावधान किया गया है। मान्यवर, अन्य बहुत सारी चीजें भी उसमें कही गई हैं। मान्यवर अन्य वक्ता, उस पर बोलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि किसानों की जमीन ली जा रही है, किसानों की जमीन ली जा रही है। केवल एक हल्ला मचाया जा रहा है। सदन के अंदर भी उसी प्रकार का हल्ला मचाया जा रहा है। पिछले समय भी राज्य सभा के अंदर वह बिल पास करने का मौका नहीं दिया गया, उस समय भी हल्ला मचाया गया। जबकि वह भी जो कानून बना है, जो पिछली सरकार ने बनाया, वह भी अच्छा कानून है लेकिन इसमें कुछ सुधार किए जा रहे हैं। तो सुधार की गुंजायश तो हमेशा रहती है। तो सुधार के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यह अच्छा होगा, देश के हित के लिए होगा, विकास के लिए होगा। जब किसान आत्महत्या करते हैं तो उनका सवाल उठता है। पहली बार यह नहीं हो रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है उस समय से आए दिन समाचार आता रहता है, विशेषकर महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र के अंदर तो किसानों की बड़ी भारी संख्या रहती है जो आत्महत्या करते रहते हैं। वहां तो कोई सरकार हमारी नहीं रही। हमारी सरकार तो अभी-अभी महाराष्ट्र में बनी है। वहां तो सभी सरकारें आपकी रही हैं, कांग्रेस द्वारा शासित सरकारें रही हैं और उनके साथ जो मिले-जुले दल हैं उन्होंने जिन्होंने कभी-कभी समर्थन दिया है ताकि उनके साथ ...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): अभी पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री विनय कटियार : जरा थोड़ी देर चुप रहो। बैठो-बैठो, बताना है। वह आपके नेता बताएंगे, जरा बैठो। ...(व्यवधान)... बैठो-बैठो। ...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर : महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री विनय कटियार : मैं पूरे बलिया की पृष्ठभूमि जानता हूं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : यह अब रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)... रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप इस तरह से आपस में बात नहीं करें।

श्री विनय कटियार : ठीक है, भाई धमकी देने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम करना होगा।

...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, यह जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, पहले भी इस मामले में किसान आत्म-हत्या करते रहे हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि 2 लाख किसानों ने आत्म-हत्या की। ...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, हम किसानों की हालत पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कटियार जी Land Acquisition के बारे में बोल रहे हैं।

श्री विनय कटियार : मैं किसानों के बारे में ही बोल रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): कृपया शांति बनाए रखें, बीच में मत बोलिए।
...(व्यवधान)... मैडम, वह yield नहीं कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... यह हाउस का नियम है कि चेयर की बिना इजाजत के बीच में न बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर :*

श्री विनय कटियार : वह किस से बोल रहे हैं, आप इन्हें समझाइए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप आपस में बात मत कीजिए। आप मुझ से बात कीजिए। चेयर की इजाजत लेकर बात करिए।

श्री विनय कटियार : सर, किसान आत्म-हत्या करते रहे हैं, 2 लाख किसानों ने आत्म-हत्या की है। शरद जी, उस समय भी इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई होगी। यह बात ठीक है कि जब किसान आत्म-हत्या करता है, तो किसानों को और जो गांव के अंदर रहते हैं, उन सभी को दुख होता है।

श्री शरद यादव (बिहार): महोदय, उस सदन में 6 घंटे बहस हुई है और शरद पवार जी मिनिस्टर थे। मैंने उस डिबेट को initiate किया था।

श्री विनय कटियार : हो सकता है, उस डिबेट के समय हम न रहे हों। जो बात सही है, उसे कहना चाहिए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बहस को अच्छे ढंग से चलाने के लिए आपस में बात न करें तो अच्छा है।

श्री विनय कटियार : महोदय, मेरा कहना है कि जब किसान मरता है तो सभी को दुःख होता है। हम सब भले ही राजनीति करते हैं, लेकिन हम और आप भी किसान परिवार से हैं। महोदय, अभी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इस से पहले अगर 50 प्रतिशत तक किसान का नुकसान होता था, तो उसके लिए मुआवजा दिए जाने की बात चलती थी। अब उसे बढ़ाकर 33 परसेंट कर दिया गया है। अगर 33 परसेंट भी नुकसान होता है, तो उसे भी नुकसान की श्रेणी में ले लिया जाएगा। यह काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसी के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि गेहूं या अन्य फसल, जो अनाज की श्रेणी में आती है, वह भी अगर damage होती है, तो उसे भी खरीद लिया जाए। महोदय, ये सारी व्यवस्थाएं इस सरकार द्वारा

* Not recorded.

[श्री विनय कटियार]

की गयी हैं, लेकिन आपने खुद कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आने वाली प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है। भारत सरकार भी ये राहत का पैसा आखिरकार राज्य सरकारों के पास ही भेजेगी और राज्य सरकार उनकी फसल खरीदेगी। अभी उत्तर प्रदेश में 25 से 50 रुपए का चैक किसानों को काटा गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: *

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाएं, व्यवधान पैदा न करें। ...**(व्यवधान)**... चर्चा में व्यवधान करना मुनासिब नहीं है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, जिस पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस विषय में टोका-टोकी न हो और गंभीर चर्चा हो। ...**(व्यवधान)**... इसे देश देख रहा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बिना इजाजत के कृपया बीच में न बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार : अगर आप करोगे तो आपके नेता बोलेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि बिना इजाजत के बोलने पर रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री विनय कटियार : इसलिए व्यवहार पर संयम रखें और उस हिसाब से व्यवहार करें।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आप जारी रखें, आपका समय खत्म हो रहा है।

श्री विनय कटियार : उपसभाध्यक्ष जी, कुछ राज्यों के अंदर इस तरह के चैक काटे गए हैं, हमारे फैजाबाद जिले में भी ऐसे चैक दिए गए हैं। यह बात ठीक है कि बाद में मुख्य मंत्री जी के ध्यान में आया, जब उनके ध्यान में यह बात लाई गई, तो वहां के लेखपाल को, वहां के पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया और यह आदेश जारी हुआ कि 1500/- रुपए से नीचे का कोई भी चैक किसी किसान को नहीं दिया जाएगा। आप जिस ब्यूरोक्रेसी की बात कह रहे थे, मैं तो उसी की बात कह रहा हूँ। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, तो पूरी सरकार की गलती हो रही है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। आप देखिए, केंद्र से कितना मुआवजा जा रहा है? जो केंद्र सरकार से पैसा भेजा गया है, उसकी जानकारी कृषि मंत्री जी देंगे कि किन राज्यों में कितना-कितना पैसा भेजा गया है। इससे कम से कम इसकी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी और उसमें से कितना किसानों को गया, उसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। अभी आपने जैसे हरियाणा का दो रुपए का सवाल उठा दिया, लेकिन वह तो हुडा की सरकार के समय का है, हम लोगों की सरकार के समय का तो नहीं है। हम वहां दो रुपए दे देंगे, कम से कम इतनी संवेदनहीन हमारी सरकार नहीं है। आज आप जिनके साथ हाथ मिला रहे हो, उन्हीं के कारण आप आज विपक्ष

* Not recorded.

में बैठे हो। उनको तो लगता है कि सत्ता उनके हाथ से चली गई है, वह जल्दी से उनके हाथ में आनी चाहिए, किसी प्रकार से भी आनी चाहिए और उसके लिए आप उनके हल्ला-होहल्ला में हाथ में हाथ मिलाते चले जा रहे हैं। यह वही कारण बन रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है। आप जब तक उनके साथ नहीं मिले थे, आपकी संख्या बढ़ी हुई थी, आप अधिक संख्या में जीत कर आ रहे थे, आपका ग्राफ बढ़ रहा था, लेकिन जब से आपने यहां हाथ मिलाना शुरू कर दिया, तब से आपकी भी यही दशा हो गई है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विषय बहुत गंभीर है और हमारी सरकार इसकी ओर पूरी तरह से कृत-संकल्पित है कि हम अनाज भी खरीदेंगे, किसानों को मुआवजा देने का काम भी करेंगे। हमारी सरकार के मंत्री हर प्रदेश में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जायजा लेने के लिए स्वयं माननीय राजनाथ सिंह जी गए। वे कई जगहों पर जाकर आए हैं। नितिन गडकरी जी भी वहां जाकर आए हैं, और भी कई मंत्री वहां पर गए हैं। अगर इसी प्रकार से राज्यों के लोग भी काम करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि जितना पैसा अभी उनके पास है, उससे उनका काम हो सकता है। वहां खरीदारी का काम, उनको बोरा पहुंचाने का काम तो प्रदेश सरकारों को करना है, वे उनके पास पहुंचवाएं। प्रदेश सरकार को भी तो वहां काम करना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार के लोग यहां हल्ला मचा दें, तो उससे काम नहीं होने वाला है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके चक्कर में मत पड़िए और यह भूमि अधिग्रहण का जो बिल है, उसको भी पास कराइए। इसी के साथ ही साथ जिन किसानों की मृत्यु हुई है, उसको लेकर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके प्रति सबकी संवेदना होनी चाहिए, हमारी भी संवेदना है। कल यहां दिल्ली में जो हुआ है, जिस प्रकार का हुआ है, आप पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ कि उसकी निंदा की जानी चाहिए। वहां मंच पर भाषण होता रहा, व्यक्ति मर गया, आत्महत्या के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद भी बीस मिनट तक भाषण होता रहा, उनकी सभा चलती रही। इस ओर माननीय गृह मंत्री जी भी ध्यान देंगे और मैं समझता हूँ कि जो भी उसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन, आज यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। बेमौसम की बारिश, ओले और तूफान ने पूरे देश में किसानों का जबर्दस्त नुकसान किया है और उसका नतीजा यह है कि कई राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं तक की हैं। जब मैं प्रारंभ में बोला था, तो मैंने बताया था कि इसका कारण क्या है। ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति आत्महत्या करने तक की स्थिति में पहुंच जाता है, इस एक्सट्रीम स्टेप को उठाने के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन से ऐसे कारण हैं, जो जिम्मेदार होते हैं? महोदय, हमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखना पड़ेगा। इस संबंध में जो सबसे प्रमुख बात है, वह यह है कि जो खेती करता है, जो उसमें लागत लगाता है, उसे इस देश में कभी लाभकारी मूल्य नहीं मिला। हम सोशलिस्ट लोग किसान को लाभकारी मूल्य देने के लिए आन्दोलन करते-करते थक गए। जो लागत लगे, उससे कुछ ज्यादा किसान को मिले, तो कुछ फायदा हो, लेकिन जितना लगता है, जब उतना भी नहीं मिलता, तब वह घाटे में चला जाता है।

[प्रो. राम गोपाल यादव]

महोदय, मुझे याद है, 14वीं लोक सभा में, जब मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था और पवार साहब मंत्री थे, तब मैंने सी.ए.सी.पी. से पूछा कि बताइए कि किस तरीके से आप मिनीमम सपोर्ट प्राइस निकालते हैं या किस तरह से तय करते हैं। जो किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वे जानते हैं कि खेती पर किसान काम करता है, लेकिन कई बार उसका जो लड़का पढ़ता है, यदि छुट्टी हो, तो वह भी खेत पर काम करने के लिए आ जाता है। उसकी पत्नी आती है, वह भी काम करने लगती है। इन सबके लेबर को क्या कभी जोड़ा जाता है? जो उसके बैल होते हैं, जिनसे वह खेत जोतता है, उन्हें सानी देने का काम, पानी पिलाने का काम, मजदूर नहीं, बल्कि उसके घर के परिवार के बच्चे तथा अन्य सब लोग करते हैं, तो क्या कभी उनके श्रम को जोड़ा जाता है? जब डिटेल में पूरी कमेटी ने पूछा, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने धान और गेहूं की जो लागत बताई, वह उस वक्त की मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा थी। यदि मिनीमम सपोर्ट प्राइस कम होगी, लागत ज्यादा होगी, तो किसान आत्महत्या तो करेगा ही।

महोदय, मौजूदा सरकार ने, बी.जे.पी. ने, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे सबसे बड़े नेता है, अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते वक्त लागत मूल्य से डेढ़ गुना मूल्य तय किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा हुआ? तीन परसेंट भी नहीं बढ़ाया, 50 परसेंट बढ़ाने की बात तो दूर रही। किसान को अगर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा और हर बार उसे घाटा ही होगा, तो एक फसल का जब पूरा नुकसान हो जाएगा, तो उसे अंधकार दिखाई पड़ेगा, वह हताशा में चला जाएगा और उस निराशा में वह आत्महत्या करने का एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता है। आत्महत्या करने का यह मुख्य कारण होता है।

महोदय, अगर किसान के पास इतना पैसा हो और यदि लाभ में खेती है, तो एकाध फसल यदि बरबाद भी हो जाए, तो वह उसे बर्दाश्त कर सकता है और यह उम्मीद कर सकता है कि चलिए, यह बरबाद हो गई, आगे होगी, उससे हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जब हर बार किसान को खेती में घाटा ही होगा और इस तरह की बारिश होगी और ओले पड़ेंगे, जिसने सब बरबाद कर दिया, फसल नष्ट कर दी, अगर यह स्थिति पैदा होती है, तो वह निराश होकर आखिर में यही स्टेप उठाता है।

महोदय, अभी जो हुआ है, उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी। उत्तर प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग तरह का नुकसान हुआ है। बुंदेलखंड में जहां पानी कम है, वहां ऐसी फसलें होती हैं, जिनमें पानी की कम जरूरत पड़े। जैसे—चना, तिलहन, अरहर, मसूर और सरसों आदि। ये तो लगभग पूरी तरह नष्ट हो गईं। इधर मध्य उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से आगरा के आसपास तक, बड़े पैमाने पर आलू और गेहूं होता है। आलू तो कुछ बच गया था, बल्कि ज्यादा बच गया था, क्योंकि पहले ऐसा डर लगा था कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं हुआ, परन्तु गेहूं पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक बार पहले बारिश हुई, तो कम नुकसान हुआ था और उसके हिसाब से कुछ रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी। लेकिन जब दोबारा बारिश हुई, उसमें इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि कुछ नहीं बचा। मथुरा के आसपास जो ओले पड़े, सारे लोगों ने देखा होगा कि बाहर जिनकी गाड़ियां खड़ी थीं, उन गाड़ियों की windscreens टूट गईं। जो लोग गाड़ियों में चल रहे थे, उनको भागकर घरों में शरण लेनी पड़ी। पेड़-पौधों पर जो चिड़ियां बैठी हुई थीं, वे सब मर गईं, तो किसी इलाके में कहीं-कहीं इतना बड़ा नुकसान हुआ। सारी

फसल खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू में जब कम बारिश हुई थी, उस वक्त जो नुकसान हुआ था, उसके हिसाब से कुछ कम पैसा मांगा था, लेकिन बाद में जब असेसमेंट करवाया, तो सरकार ने 6,700 करोड़ रुपए की मांग की। 21 अप्रैल को केंद्र सरकार ने केवल 253 करोड़ रुपए दिए। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक 1,100 करोड़ रुपया जिलों को भेज चुकी है और 600 से ज्यादा, बल्कि 700 के आसपास... शरद जी के पास ज्यादा रिपोर्ट है, इनके पुराने लोग दे गए हैं, ये बताएंगे, अभी तक मारे जा चुके हैं और जो पैसा पहले दिया जाता था, उससे दोगुना पैसा दिया है। जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार को 7 लाख रुपया दिया गया है। केंद्र सरकार डेढ़ लाख रुपया देती है। पहले साढ़े तीन लाख, पांच लाख रुपए था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब 7 लाख कर दिया है और लोगों को यह पैसा दिया है। इस दौरान फसल के बरबाद होने की वजह से 59 किसानों ने आत्महत्या की है और 7-7 लाख रुपया मुआवज़े का दिया गया है।

माननीय मंत्री जी, एक सबसे दुःखद बात यह है कि फसल बीमा योजना लागू है और 50 परसेंट से ज्यादा फसल के नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी को 25 परसेंट तत्काल देना होता है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम का लगभग 2,000 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें 141 करोड़ किसानों का अंशदान भी है और आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी बीमा कंपनियों ने अभी तक केवल 2 करोड़ रुपया दिया है। प्रीमियम मिला 2,000 करोड़ और दिया 2 करोड़, तो इन बीमा कंपनियों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? इसी तरह की आपदाओं के लिए बीमा की व्यवस्था है। फसल बीमा योजना पर जो हमेशा जोर दिया जाता रहा, वह इसीलिए दिया जाता रहा कि इस तरह की दैवी आपदा कभी आती है, तो क्योंकि गवर्नमेंट भी किसान की उतनी मदद नहीं कर सकती है, इसलिए वह बीमा के कवर में आ जाए, जिससे कि उसको पैसा मिले, लेकिन बीमा कंपनियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। आपकी टीम जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी टीम एक रूट से निकल गई और उसमें फसल उसको ठीक दिख गई, तो उसने कह दिया कि यहां कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसके हिसाब से रिपोर्ट बना दी, तो बीमा कंपनियों पर आपको लगाम लगानी होगी। बीमा कंपनियों से पूरा पैसा लेना होगा। आपने यद्यपि 33 परसेंट कर दिया है कि 33 परसेंट नुकसान तक मुआवज़ा दिया जाए, लेकिन बीमा कंपनियों का अभी 50 परसेंट ही है। 50 परसेंट से ज्यादा नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। तो जिनका 50 परसेंट से ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको तो कम से कम बीमा कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाना चाहिए था, जो उसके अंतर्गत आते हैं। ...**(समय की घंटी)**... अभी तो माननीय मंत्री जी...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : यह तय हो गया था कि टाइम की लिमिट नहीं है।

प्रो. राम गोपाल यादव : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितना चाहो, उतना ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : यहां लिखा हुआ है, इसलिए मैंने घंटी बजाई।

श्री नरेश अग्रवाल : नहीं, यह तय हो गया था।

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, किसान के सामने दिक्कत यह है कि जो उद्योग-धंधा होता है, उसमें तो आदमी अपने तरीके से तय कर लेता है। सीमेंट का दाम अपने तरीके से तय कर लेगा, सरिया का दाम अपने तरीके से तय कर लेगा।

[प्रो. राम गोपाल यादव]

4.00 P.M.

कपड़े वाला कपड़े का दाम अपने तरीके से तय कर लेगा, सब कारखाने वाले अपने तरीके से दाम तय कर लेंगे, लेकिन किसान को गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। अफसोस की बात यह है कि बड़े पैमाने पर संसद के दोनों सदनों में किसानों के बेटे आज भी मैजोरिटी में बैठे हुए हैं। 70 फीसदी किसानों के बेटे संसद में सरकार में बैठे हुए हैं और ये किसानों के हक में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते कि संकट आने पर वे उस संकट को झेल सकें और उससे बचकर निकल सकें। अमेरिका बार-बार हम पर दबाव डालता है कि सब्सिडी कम करो। मैं पिछली बार जान-बूझकर अमेरिका के उन इलाकों में गया, जहां किसान खेती करते हैं। जब वहां पर मैंने किसानों से बात की तब पता चला कि उनको खेती घाटे का सौदा है ही नहीं। अगर बिल्कुल नुकसान हो जाए, तब भी उनको इतनी सब्सिडी प्रति हेक्टेयर दी जाती है, जितना हमारे यहां फसल पैदा करके बेचने के बाद, सब्सिडी मिलने के बाद भी नहीं मिलता, उतना उनको बिना किए हुए मिल सकता है और यहां हिन्दुस्तान पर दबाव डाला जाता है सब्सिडी कम करो। किसान खेती से थोड़ा सा विमुख हो और हमें बाहर से ही सब कुछ मंगाना पड़े। लेकिन हमारा किसान इतना हुनरमंद है कि दूसरी जगह इंजीनियर्स बताते हैं कि अब इसमें जुताई करनी चाहिए, अब इसमें पानी देना चाहिए, लेकिन हमारे यहां तो पानी बरसने के बाद किसान पैर के अंगूठे को जमीन में लगाता है और बता देता है कि अब यह खेत जोतने लायक हो गया, ट्रैक्टर चलाने लायक हो गया, हल चलाने लायक हो गया।

श्री शरद यादव : वहां तो सब ऑटोमेशन है।

प्रो. राम गोपाल यादव : वह इतना होशियार है और इतनी मेहनत करना है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान आत्महत्या करे तो गवर्नमेंट को यह सोचना पड़ेगा कि उसे कैसे बचाया जाए। महोदय, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी रीढ़ खेती है। सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम खेती करती है। हालांकि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर लगातार कम हो रहा है, इसके बावजूद बड़े पैमाने पर किसान लोगों को रोजगार देता है। 74 परसेंट से घटकर 60 परसेंट, कुछ लोग कहते हैं कि 57 परसेंट, 63 परसेंट आ गया, लेकिन गरीबी इसलिए बढ़ी क्योंकि जीडीपी में उसका शेयर 13 परसेंट, 11 परसेंट के आस-पास आ गया है। माननीय मंत्री जी, आप तो किसान हैं, किसान परिवार से हैं, अच्छे आदमी हैं, यह जो बीमा कम्पनियां पैसा नहीं दे रही हैं, किसान की पूरी फसल चली गयी, बरबाद हो गयी, उनसे उसे पैसा दिलाने का काम कीजिए। आपने चुनाव में जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा कीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागत मूल्य से डेढ़ गुणा करिए और जो एमएसपी को तय करते हैं, उसमें जब तक आप किसानों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, जब तक किसानों की असली बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा— आपने सब आईएस ऑफिसर्स और कुछ साइंटिस्ट्स डाल दिए, उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यह तक नहीं जानते कि जौ और गेहूं में क्या फर्क है। अब वे यह तय करेंगे कि कैसे एमएसपी तय की जाए? वे इस बात को नहीं जानते हैं इसलिए किसानों के लोग उसमें शामिल होने चाहिए, उसमें उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसानों के लोन पर ब्याज की बात थी, स्वामीनाथन कमेटी ने 4 परसेंट ब्याज के लिए कहा था, बल्कि हमारे यहां

उत्तर प्रदेश में तो कहीं-कहीं कोऑपरेटिव में तीन परसेंट ब्याज पर ही देने लगे, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको तीन परसेंट इंटरस्ट पर लोन देते हैं। लेकिन आपके जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, वे अब भी, जो आप लक्ष्य तय करते हैं, उस लक्ष्य के बराबर उन्होंने किसानों को कभी भी लोन नहीं दिया है। केवल कोऑपरेटिव ही ऐसा मूवमेंट है, जो सबसे ज्यादा किसानों की मदद करता है और किसानों से ही लोन की सबसे ज्यादा रिकवरी होती है। आपने पूंजीपतियों का पता नहीं कितना पैसा write off कर दिया, जितना किसान कर्ज नहीं लेता है, उससे ज्यादा पैसा write off कर दिया है और उनका नाम तक बताने के लिए सरकार तैयार नहीं होती है कि किन-किन लोगों का, कितना पैसा माफ कर दिया या छोड़ दिया गया है। अगर किसान के ऊपर 100 रुपये या 200 रुपये का कर्ज होता है, तो उसे 14 दिन के लिए पकड़ लिया जाता है और तहसील में बंद कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिकवरी कोऑपरेटिव से लोन लेने वाले किसानों से हो रही है। किसान ही सबसे बेहतर पैसा वापस करने वाले लोग हैं। कोई भी दूसरा सैक्टर या दूसरे सैक्टर से जुड़े हुए लोग इतनी अच्छी तरह से पैसा वापस नहीं करते हैं, इतनी अच्छी तरह से अन्य किसी से रिकवरी नहीं होती है। ब्याज अन्य बैंकों से भी कम लगे और Reconciliation Board कभी अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था पंजाब वगैरह में कि अगर जमीन पर कर्ज ले लिया है, जमीन बंधक है, तो उसको दिया नहीं जाएगा, उसको नीलाम नहीं किया जाएगा, उसकी और मदद की जाएगी, ताकि वह उसी जमीन से पैदा करके लोन को वापस कर सके।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): राम गोपाल जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

प्रो. राम गोपाल यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अभी दो-तीन मिनट और बोलूंगा। हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है। भूमि विकास बैंक को लोग कहते थे कि यह भूमि विनाश बैंक है। इस बात को विनय कटियार जी भी जानते हैं। भूमि विकास बैंक से अगर किसी ने लोन ले लिया, तो उस पर इतना ब्याज लगता था कि उसकी जमीन नीलाम हो जाती थी। किसान ने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया और जमीन नीलाम हो गई। हमने चुनाव घोषणा-पत्र में इसके बारे में कहा था और हमने भूमि विकास बैंक का सारा कर्ज माफ कर दिया। हमने यह व्यवस्था कर दी कि मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता, चाहे जितना विलम्ब हो जाए, लेकिन मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं होगा और जब ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं होगा, तो किसान की खेती कभी भी नीलाम नहीं हो पाएगी। इस तरह के कुछ सुधार करने होंगे। मैं तो कितने वर्षों से यहां देख रहा हूं और कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता है जिस वर्ष किसानों पर आपदा न आती हो, चाहे वह बाढ़ के रूप में आती हो, चाहे वह सूखे के रूप में आती हो, चाहे ओलावृष्टि के रूप में आती हो, परन्तु आपदा आती जरूर है। इसके बारे में चर्चा भी यहां होती है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उत्तर बिहार में नेपाल की नदियों से बाढ़ का पानी आ जाता है, दूसरी तरफ सूखा होता है। अभी कल बिहार में तूफान आया है, उससे काफी जन-धन का नुकसान हुआ है। पार्लियामेंट में at a time बाढ़ पर चर्चा हुई और सूखे पर भी चर्चा हुई, ऐसा होता है। इसीलिए नदियों को भी आपस में जोड़ने के बारे में बात चली थी। मंत्रालय किसको दिया गया है, काम होगा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन किसानों के सामने जो समस्या है, उस समस्या का समाधान आपको करना होगा। आपने लोगों को बहुत अच्छे सपने दिखाए थे। लोगों ने आप पर भरोसा किया,

[प्रो. राम गोपाल यादव]

आपको सत्ता में पहुंचाया और जो आपने अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, उससे अब आदमी थोड़ा सा निराश होने लगा है। यह निराशा ठीक नहीं है। जब लोगों के मन में निराशा होती है, तो फिर रिएक्शन होता है। इसलिए चेयर के माध्यम से मेरी सलाह आपको यह है कि किसानों को जितनी सुविधा दे सकें और जितनी जल्दी सुविधा दे सकें, वह दें, क्योंकि किसान, मजदूर दिन में कुछ कमाएगा नहीं, तो उसको शाम को खाना नहीं मिलेगा। किसानों की और खेतिहर मजदूरों की लगभग एक जैसी स्थिति हो गई है। किसानों के पास धीरे-धीरे इतनी कम जमीन रह गई है कि मजदूर और किसान में कोई अंतर नहीं रह गया है। लैंड होल्डिंग बहुत छोटी हो गई है, इसलिए मैं आप से यह कहता हूँ कि आपकी कमेटियां जाती हैं और वे अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर बीमा कम्पनी भी पैसा देने में टाइम लेती हैं। आप इसमें जितनी quick relief दे सकते हैं, उतनी दीजिए। लोगों को उम्मीद के हिसाब से जितनी राहत मिलनी चाहिए, अभी उतनी राहत नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,700 करोड़ रुपया मांगा, आपने केवल 253 करोड़ रुपया दिया है। आप जल्दी से और पैसा दीजिए। हमारी गवर्नमेंट ने हर जिले में, हर प्रदेश में और हर गांव में पैसा बांटने का काम शुरू कर दिया है। विनय जी अभी गांव में गए नहीं होंगे, अपने गांव में जाना। आपके गांव में भी पैसा जरूर बंट रहा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[उपसभाध्यक्ष (डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) पीठासीन हुए]

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मैंने सदन में जिन बातों को कहा था, मैं अब उनको नहीं दोहराऊंगा। माननीय कृषि मंत्री जी, आपने कहा है कि 93.4 लाख हैक्टेयर जमीन पर नुकसान हुआ है। मैं FCI के बारे में बोल रहा था। माननीय रामविलास जी के विभाग में 20 अप्रैल तक 36 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 59 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। मैं मानता हूँ कि इस बार गेहूं कम इसलिए खरीदा जाएगा कि इस साल फसल की बहुत बरबादी हुई है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के हाथ में यदि कोई एक चीज है, तो वह इंश्योरेंस कम्पनी है, इससे शीघ्र राहत पहुंचेगी। अभी जैसा कि प्रो. राम गोपाल जी बोल रहे थे कि इंश्योरेंस कम्पनी से शीघ्र ही राहत पहुंच सकती है। मैं यह सुनकर हैरान हूँ कि इन्होंने कहा है कि केवल दो करोड़ रुपया ही मिला है और लिया दो हजार करोड़ है। ऐसा अन्याय इतने वर्षों से चल रहा है, कहां तो शुरू में GDP में एग्रिकल्चर का 35 फीसदी शेयर था, लेकिन आज यह 14 फीसदी है। यानी इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिस रोजगार में जुड़ी हुई है, हमने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। पहले कभी इस क्षेत्र में आत्महत्या नहीं होती थी। अंग्रेजों के जमाने में पहले काफी बड़े-बड़े अकाल भी पड़े हैं, उस समय लोग भूख से मर गए होंगे, लेकिन किसान ने कभी आत्महत्या नहीं की। मेरे ये सुझाव हैं कि पहले इन इंश्योरेंस कम्पनियों को तत्काल टाइट करो और FCI हर तरह का अनाज खरीदे। मैं यहां ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि शरद पवार जी को भी बोलना है।

महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी चले गए हैं और विनय कटियार जी भी चले गए हैं, मैं कहता हूँ कि यह लैंड एक्विजिशन का मामला नहीं है। उस पर तो बाद में बड़ी बहस होगी और बहुत ज्यादा बहस होगी। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दिल्ली से मुम्बई में कॉरिडोर बन रहा है और आपके जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो

वह कॉरिडोर नहीं है, एक किलोमीटर तक आजू और एक किलोमीटर तक बाजू है। यानी इसमें कितनी जमीन जाएगी? मैंने स्मार्ट सिटी का अनुमान लगाया था कि सात लाख हेक्टेयर जमीन जाएगी। यह कह रहे हैं कि हम कारखाने वालों और इंडस्ट्रीज वालों को जमीन नहीं देंगे। आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन अब जमीन की कौन सी जरूरत है, जो आप 7 लाख हेक्टेयर जमीन लेना चाह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने लोगों से बात करके उसका अंदाज किया है। आप मेरी जीभ मत पकड़ लेना। मेरे पास कोई सरकार नहीं है, इसलिए मैं पक्का आँकड़ा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 7 लाख हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। आप कहते हैं कि आप 100 स्मार्ट सिटी बनाएँगे। कटियार जी आ गए हैं। आपका आँकड़ा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश में जितनी सरकारें आई हैं, उन्होंने इतना लैंड एक्विजीशन नहीं किया होगा, जो दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर पर हो जाएगा। जब लैंड एक्विजीशन पर चर्चा होगी, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 7 लाख हेक्टेयर, यानी हिन्दुस्तान की एक-चौथाई धरती आप ले रहे हैं। आपने जो लैंड एक्विजीशन कानून बनाया है, उसका मतलब ही यह है।

आजकल जो फेसबुक वगैरह है, उस पर तमाम तरह से आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। अभी राम गोपाल जी ने बताया कि हमारे यहां कितने लोगों की आत्महत्या हो गई, कितने किसानों ने प्राण दे दिए और उनको 7 लाख मिल रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश से काफी लम्बे समय तक जुड़ा रहा हूँ। भाई मुलायम सिंह और मैं बीसों साल पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते थे और बदायूँ से मैंने तीन बार चुनाव लड़ा। कटियार जी ने 2 रुपए और 5 रुपए की बात की। वहां के जितने लोग आए, मेरे पास सच्ची खबर नहीं होती, तो मैं नहीं बोलता, मैंने जैसे ही परसों अखबारों में, मीडिया में देखा, तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा, फिर अभी मैंने राम गोपाल जी से पूछा, राज्य सरकार तो 700 करोड़ दे रही है, पर आपकी सरकार से मांगा गया और अभी तक आपकी तरफ से 253 करोड़ पहुँचा। कृषि मंत्री जी, आप इतना कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 33 फीसदी कर दिया, इतनी राहत दे रहे हैं। बात सही कह रहे हैं। कब? आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तरह की राहत दी है, मैं राहत के बारे में बताऊँगा, तो आपका समय चला जाएगा। मेरे पास मैटीरियल है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हर बार जब यहां खड़े होते हैं, तब आप कहते हैं कि हम यह कर रहे हैं, हमने यह कर दिया, लेकिन जमीन पर तो हाहाकार मचा हुआ है। अभी हाहाकार मचा हुआ है, अभी आदमी को पानी चाहिए। जैसे पल-पल लाइफ ब्रेथ होती है, इसी तरह का यह संकट है। पूरे किसानों में इसी तरह का हाहाकार है। आपको तत्काल खड़े होकर राहत देनी पड़ेगी। अगर आप तत्काल खड़े होकर राहत नहीं देंगे, तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। मेरे यहां जलजला आया था। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे इलाके में पानी-पानी हो गया था, तबाही हो गई थी। मकान, सब चीजें तबाह हो गई, लोग मर गए, लोग बह गए। अभी उस इलाके में आँधी और तूफान से इतनी तबाही हुई है कि मैं आपको बताऊँ कि जब मैं आज सवेरे घर से चला था, तो वहां से 80 आदमियों की मौत की खबर आई, जब शाम तक जाऊँगा, तो पता नहीं कितने लोग होंगे। जब पिछली बार जलजला आया था और राहत बांटी गई, तो अपनी सरकार से बात करके मैंने कहा कि सीधे लोगों के हाथ में पैसा दे दो। अगर आप सीधे पैसा दे देंगे, तो मैं आपसे कह नहीं सकता कि लोगों को कितना सुकून मिलेगा। आप किसान के हाथ में सीधे पैसा

[श्री शरद यादव]

दे दीजिए। हिन्दुस्तान में रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने जितना पैसा दिया है, मैं देश में चारों तरफ घूमता हूँ, लोगों के पास चार चक्के और दो चक्के की गाड़ी इतनी हो गई हैं। दिल्ली में तो हो ही गई हैं, वहाँ इतनी हो गई हैं। यह जो रूरल डेवलपमेंट है, उसमें गरीब आदमी के लिए जो पैसा जाता है, उसका इस्तेमाल कितना होता है? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 परसेंट पहुँचता है, अब पता नहीं कितना पहुँचता है। वह जो आपका पटवारी है, वह आपका कर्मचारी है। अब आपने 33 परसेंट किया है, वह खड़े होकर जिन पार्टियों का सरदार होगा, उनके किसानों को तत्काल ठीक कर देगा। जो गरीब किसान है और जिस सीमान्त किसान की अभी सब लोग बात कर रहे थे, उस गरीब किसान की हालत यह है कि उसका पूरा खेत ही चौपट हो गया है। जो दिखाई दे रहा है, उसके लिए तो कुछ लिखकर देने की जरूरत भी नहीं है, उसको कोई पटवारी तो लिखेगा नहीं। आप किसान को सीधे राहत कैसे देंगे? आज उनकी स्थिति कहां तक पहुँच गई है, यह हम सभी जानते हैं। हम लोग यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं। इस सदन में 65 फीसदी से लेकर 70 फीसदी सांसद किसानों के बेटे हैं। हमारा यह सदन बहुत अहम है, लेकिन अभी तक हम केवल अपनी बातें ही रख रहे हैं। श्रीमन्, पिछले सत्र में इस मुद्दे पर तीन बार बहस हुई है और तीन बार बहस होने के बाद कृषि मंत्री जी का भाषण हो गया। अभी फिर ये अपना भाषण दे देंगे। मेरी आपसे विनती है, भाषण देने की सार्थकता तभी है कि आप अपनी कही हुई बातों को कितनी जल्दी जमीन पर लेकर आते हैं। इसको जल्दी जमीन पर लाने के लिए आपके हाथ में जो सबसे सहज और सरल तरीका है, उस तरीके को आप निकालिए। आपने इसके लिए चार-चार पांच-पांच डिपार्टमेंट लगाए हुए हैं। कभी कहते हैं कि राज्य सरकार पैसा देगी, कभी कहते हैं केंद्र सरकार पैसा देगी। यहां पर इसके लिए एक तो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिर होम मिनिस्ट्री है, फिर सबकी मालिक फाइनांस मिनिस्ट्री है। इस प्रकार आप ये सारा प्रोसिजर कब तक पूरा करेंगे?

अभी गुलाम नबी जी गजेन्द्र का जिक्र कर रहे थे। वहां पर किसानों की सभा हो रही है, वह व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर नारे लगा रहा है, लेकिन हमारी संवेदना इतनी मर चुकी है कि इतनी भीड़ में हम लोग यह नहीं कर सके कि किसी तरह से उसको बचा लेते। प्रश्न यह उठता है कि इस रैली को आप जन्तर-मन्तर पर ही क्यों ले गए? पहले हिन्दुस्तान का गरीब आदमी, दुःखी आदमी वहां पर अपनी आवाज लेकर आता था।

उपसभाध्यक्ष (डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) : यादव जी, थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए।

श्री शरद यादव : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जन्तर-मन्तर पर गरीब आदमी अपनी आवाज लेकर आता था, डिमॉन्स्ट्रेशन करता था। हमने चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में, जिनका स्वर्गवास हो गया है, किसानों की एक भव्य रैली की थी। हिन्दुस्तान के इतिहास में इससे बड़ी रैली कभी नहीं की गई। उस रैली में हम थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, मुलायम सिंह जी थे। किसानों की इतनी बड़ी रैली उससे पहले और उसके बाद कभी नहीं हुई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की रैलियां बोट क्लब पर हुआ करती थीं, लेकिन आज अगर शाम को आप बोट क्लब पर चले जाएं, तो वहां पर जो लूटने वाले लोग हैं, उनकी पिकनिक चल रही होती है। यदि वहां पर जलसा या जुलूस होता, फायर ब्रिगेड होती,

तो शायद यह दुर्घटना टल सकती थी। आज आप सैकड़ों मंजिलों की बिल्डिंग्स तो बना रहे हैं, लेकिन वहां पर जब एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया, जो तकलीफ में था, उस समय उसे राहत देने की जरूरत थी। वह व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया, सबके सामने उसने फांसी लगा ली, उसकी डेथ हो गई, लेकिन वहां पर न तो कोई फायर बिग्रेड थी, न ही कुछ और था और लोग कपड़ा लगाकर उसको नीचे उतार रहे थे।

अब टीवी भी एक तमाशे की तरह आ गया है। वह हर चीज़ दिखाने के लिए तैयार रहता है। कौन सी चीज़ दिखानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनमें आपस में एक होड़ सी लगी हुई है कि कौन सबसे पहले और सबसे ज्यादा खबर दिखाएगा, लेकिन ऐसे में कौन अच्छी खबर दिखा दे, कौन खराब खबर दिखा दे, किसी को पता नहीं।

कृषि मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तत्काल ही आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलवाइए, प्रधान मंत्री जी से इसके लिए कहिए। यहां पर जो बहस चल रही है, इसका मक़सद केवल इतना ही है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलवाइए, जहां पर इत्मीनान से हम सब लोग मिलकर इस समस्या का कोई उचित समाधान ढूँढ़ें। किसान तबाह हो रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, आँधियां चल रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं। गेहूँ की फसल की तो कमर ही टूट गई है, क्योंकि 60 फीसदी किसान केवल गेहूँ की फसल ही लगा रहे हैं। फल नष्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार जी के यहां पर बागबानी का बहुत बड़ा धंधा चलता है, बागबानी के क्षेत्र में वहां के किसानों ने बड़े-बड़े कमाल के काम किए हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे वे दूसरी जगह जाते जा रहे हैं। मेरे इलाके में आम बहुत अधिक होता है, लेकिन आज आम की मंजरी पूरी तरह से झड़ गई है, आम का पूरा फल झड़ गया है। सब तरफ जो तबाही हुई है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इतना अधिक समय नहीं है। मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की बहस का सार्थक तरीके से कुछ समाधान निकले। हमारी कोई यह जिद नहीं है कि प्रधान मंत्री जी आएँ। हाथी के पांव में सबका पांव होता है। वे आ जाएंगे तो वे इस विषय पर बोलेंगे और हिन्दुस्तान को इस समस्या के तत्काल समाधान देंगे। आग आज लगी हुई है और पानी लेकर हम एक या डेढ़ दिन बाद पहुंचेंगे, तब तक तो पूरी तरह से आग लग चुकी होगी और सब कुछ बरबाद हो चुका होगा।

अगर हम पंजाब की बात लें, पंजाब में गेहूँ के पहाड़ लगे हुए हैं, मीडिया में यह सब दिखाया जा रहा है। आज मीडिया इतना अधिक एक्टिव हो चुका है, उसके माध्यम से अच्छे काम भी हो रहे हैं और वे दिख भी रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इसी समय बरसात हो गयी, यानी मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। वह बरसात में अपनी चीज़ कहां ले जायेगा, किधर बेचेगा? किसी तरह से काट कर ले गया। इसलिए, कृषि मंत्री जी मेरी आपसे यह विनती है।

अब आत्महत्या की बात है। उत्तर प्रदेश के एमपी और नेता इस सदन में हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे यहां 59 लोगों ने आत्महत्या की है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके आश्रितों को 7 लाख दे रही है, लेकिन आप डेढ़ लाख ही क्यों दे रहे हैं? आजकल क्या है? आप यह भी जान लीजिए कि आपका जो बाजार बनने वाला है, उसे आप बनाइए, लेकिन उस बाजार का खरीददार, उसका

[श्री शरद यादव]

कंज्यूमर जो है, वह किसान ही है। यानी आप अमेरिका की और यूरोप की सारी इंडस्ट्रीज लगा दीजिए, वे कल बंद हो जायेंगी। यह जो आपका कंज्यूमर है, यह दो मिनट में नहीं मिटेगा। आप लोग सोचते हैं कि खेती को इस तरह की हालत में पहुँचा दो कि किसान लाचार, बेबस हो और इतनी तबाही में हो जाये कि वह खेत छोड़ कर कहीं चला जाये। तो खेती से लोगों को भगाने का काम करेंगे? एक अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से धंधा, व्यापार करते हुए भी यह संख्या घट जाये, तब तो वह अच्छा है, लेकिन आप तो उसको धक्का मार कर निकालना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।

सर, मैं ज्यादा समय नहीं बोलना चाहता, क्योंकि शरद पवार जी को कहीं जाना है, तो अब वे बोलेंगे। मैं तो ज्यादा बोलता, लेकिन अब मेरी पार्टी से एक और सदस्य श्री के.सी. त्यागी जी बाद में बोलेंगे, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। श्रीमान्, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शरद पवार (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, कल जो incident दिल्ली शहर में हुआ, इससे कृषि क्षेत्र के बारे में पूरे देश में गम्भीरता से देखना चाहिए, इसका संदेश पहुँचाने का काम कल की एक आत्महत्या ने किया।

कई साथियों ने यहां बताया कि देश के सभी राज्यों में या कई राज्यों में पिछले कई सालों से आत्महत्याएँ होती रही हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का National Crime Records Bureau हर साल एक data publish करता है। इसमें देश में आत्महत्या कितनी हुई, देश में हत्या कितनी हुई, देश में डकैती कितनी हुई या देश में सांप्रदायिक झगड़े कितने हुए, इन सब का district-wise record होता है। पिछले कई सालों से आप देखें, तो आत्महत्या के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है, इसमें किसानों की आत्महत्या का नम्बर क्या है, वह कहां मर रहा है, कौन-से जिले में मर रहा है, इसका नक्शा हमारे सामने आता है। मैंने बारीकी से यह सब पिछले कई सालों से देखा है। इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। प्रतिपक्ष के नेता जी ने यहां कहा कि किसानों के सिर पर कर्ज की एक बहुत बड़ी रकम थी, उसे माफ करने के लिए कुछ कदम उठाये गये। उनको लागत मूल्य ठीक तरह से देने के लिए कुछ कदम उठाये गये। इसका एक फायदा हुआ कि देश में कृषि का उत्पादन बढ़ गया। पिछले कई सालों में जो इस देश के गोदाम भरे नहीं थे, अब देश के जगह-जगह के गोदामों में अनाज हो गया। इससे एक बात यह हुई कि भारत सरकार एक निर्णय लेने में कामयाब हो गयी कि देश की गरीब जनता की भूख की समस्या हल करने के लिए समाज के गरीब तबके को ज्यादा अनाज एक रुपये किलो, गेहूँ दो रुपये किलो और चावल तीन रुपये किलो की दर पर देने के लिए जो कदम उठाया, इस पर आज देश में अमल शुरू हो गया है। ये जो कुछ हुआ, इसमें सबसे बड़ा योगदान अपना खून और पसीना बहाने वाले किसानों का है। एक तरफ किसानों ने देश की परिस्थिति बदलने में बड़ी मेहनत की, अनाज की समस्या हल की और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसानों में आत्महत्या भी बढ़ रही है, उनकी समस्या भी बढ़ रही है। हमें गंभीरता से देखना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ गई हैं। यह साल पिछले कई सालों में मुझे खराब साल दिखाई दे रहा है। आज देश के कई राज्यों में, मेरे खुद के स्टेट में विदर्भ रीजन में, मराठा रीजन में सूखे

की समस्या है, पीने का पानी देने के बारे में वहां सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात देखिए, हमने सुनी, देश के और कई राज्यों की भी बात हमने सुनी। जिस महीने में बारिश कभी आती नहीं, यह बारिश आ गई, ओले पड़ गए, तूफान आ गया और हाथ में आने वाली, घर में आने वाली किसानों की फसल बरबाद हो गयी। इससे किसानों का बहुत नुकसान हो गया। जबर्दस्त कीमत किसानों को देने की स्थिति आज वहां पर भी है। देश के कृषि मंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, मगर आज के अखबारों में बिहार के बारे में एक रिपोर्ट है कि पिछले दो-तीन दिनों में बिहार में कितना नुकसान हुआ है, इसमें आपके जिले का भी नाम है और 40 किसान वहां, आत्महत्या नहीं की, मगर मारे गए। वहां इतना बड़ा तूफान आया।

श्री शरद यादव: सर, मरनेवालों की संख्या 62 हो गई है।

श्री शरद पवार: यह कल की बात है। हमने यह कभी सुना नहीं था कि इस महीने में बिहार जैसे राज्य में इस तरह से होता है। नेचर की हमारे खिलाफ जाने के बाद क्या परिस्थिति पैदा होती है, वह वहां हम लोगों ने देखी। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि चाहे ओले हों, चाहे बारिश हो, इससे किसान की जो पैदावार हुई है, उसमें नुकसान ही दिखाई दे रहा है। शरद यादव जी ने आज सुबह भी एक बात बार-बार कही, procurement के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने बात रखी। अपने देश में किसानों की जो पैदावार होती है, इसकी खरीद के बारे में एक कुछ न कुछ अच्छा इंतजाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कई सालों से चालू है और पिछले दो-तीन सालों में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सभी गोदामों में, सभी भंडारों में बहुत बड़े पैमाने पर अनाज था, मगर इस समय इसका लेवल थोड़ा कम हो गया है। जहां तक मुझे मालूम है, 41 मिलियन टन के आसपास इस साल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में आज अनाज है। देश की जरूरत तो इससे ज्यादा है, जरूरत कम की है, ऐसी बात नहीं है, पर इससे पहले दो-तीन सालों में वहां पर हम टोटल जितना अनाज रखते थे, इस साल उससे थोड़ा कम है।

आज दूसरी तरफ से शिकायतें आती हैं, जिन राज्यों में खास तौर पर चावल की पैदावार, गेहूं की पैदावार होती है, कि वहां इसको खरीदने के बारे में जो नॉर्म्स होते हैं, इन नॉर्म्स में कुछ ढिलाई दे दी, कुछ सहूलियतें दे दीं, लेकिन फिर भी रिजेक्शन का परसेंटेज ज्यादा है, इसकी कीमत किसानों को देनी पड़ती है।

दूसरी तरफ जिनका खेती में नुकसान हुआ है, आज तक उनको मदद करने की जो नीति सरकार की थी, उसमें बदलाव किया गया है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी का स्टेटमेंट देखा कि अगर 30 या 33 परसेंट तक भी नुकसान हुआ, तो भी उन किसानों को हम मदद देना चाहते हैं। मैंने अपने राज्य में इसके बारे में इंफॉर्म किया। मैंने मध्य प्रदेश के कुछ अधिकारियों से बात की। अभी तक इस तरह का सर्कुलर नीचे तक नहीं गया है, इसलिए प्रधान मंत्री ने जो अनाउंसमेंट की, उस पर अमल करने के बारे में सूचना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाले अधिकारियों तक जानी चाहिए।

श्री शरद यादव: इंश्योरेंस कंपनियों को अभी तक 50 फीसदी है।

श्री शरद पवार: इंश्योरेंस कंपनी की बात अलग थी और प्रधान मंत्री ने जो अनाउंसमेंट की थी, वह अलग बात थी। इससे पहले सरकार की तरफ से जो मदद 50 प्रतिशत नुकसान होने के बाद होती थी, वह अब 33 प्रतिशत होने की अनाउंसमेंट इस देश में प्रधान मंत्री जी के माध्यम से हुई है, मगर वह संदेश नीचे तक गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है। मेरे राज्य में जहां सूखा है या जहां ओले पड़े हैं, वहां के हमारे संगठन ने हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, हर कलेक्टर के दफ्तर में जाकर अपनी ऐप्लिकेशन दी है। यह कैम्पेन हमने शुरू की और सब जगहों पर हमें एक ही रिप्लाई मिला कि हमें अभी तक सरकार का आदेश नहीं मिला है। हमने यह बात अखबार में पढ़ी है और इसमें मेरा इतना ही सुझाव है कि यह काम जल्दी करने की आवश्यकता है।

जैसी चावल की स्थिति है, जैसी गेहूँ की स्थिति है, वैसी ही कपास की स्थिति है और गन्ना किसानों की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। भारत सरकार ने एक कीमत तय की, जिसे Fair and Remunerative Price (FRP) कहते हैं। भारत सरकार ने गन्ने की कीमत एक तय की और चीनी की कीमत दूसरी तय की। चीनी की कीमत गन्ने की कीमत से भी नीचे है। एक्सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कुछ सहायता दे दी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट इतना नीचे आ गया कि उसका एक्सपोर्ट बाहर नहीं होता और न उसे कोई खरीदने के लिए तैयार है। मुझे पक्का विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने में एक अलग तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि गन्ना किसानों को जो कीमत देने की जिम्मेदारी चीनी मिलों के ओनर्स की है, वे उसे दे नहीं सकेंगे। मेरी यह इंफॉर्मेशन है कि आज गन्ना किसानों की जो रकम बकाया है, वह इतनी ज्यादा है कि आज़ादी के बाद आज तक उतनी रकम बकाया नहीं हुई थी। आज चीनी मिलें, जिनको इतनी बड़ी रकम किसानों को देनी है, वे आज इसे किसानों को देने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी चीनी की कीमत उनको नहीं मिल रही है और ऐसी स्थिति में इन किसानों की मदद करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।

मुझे याद है कि जब हम सब लोग अपनी राजनीति की शुरुआत में विधान सभा में काम करते थे, तब शरद जी या के.सी. त्यागी जी को शायद याद होगा कि उस समय गन्ना किसानों की समस्याओं को रखने वाले गोरखपुर के एक नेता बाबू गेंदा सिंह थे, जिनका नाम बाद में गन्ना सिंह हो गया, क्योंकि वे हमेशा गन्ना किसानों की समस्या सामने रखते थे। उनका नाम केवल यूपी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका नाम तमिलनाडु तक गया था, क्योंकि उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान देने का काम किया था। आज जहां तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्णाटक, तमिलनाडु, गुजरात की बात है, इन राज्यों में ऐसे काम करने पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस ध्यान को देने में कुछ कमी होगी, तो उसकी कीमत इस देश के किसानों को देनी पड़ेगी।

आज यही स्थिति आलू की फसल के सामने भी पैदा हुई है। पश्चिमी बंगाल, आलू का उत्पादन करने वाला एक बहुत बड़ा राज्य है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): सर, हम शरद पवार जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, वे हमारे नेता हैं और शरद यादव जी भी हम लोगों के साथी ही हैं। शरद पवार जी, हम आपका बहुत आदर करते हैं। हम ही नहीं, हमारे एनडीए में भी जो लोग हैं, वे आपका बहुत आदर करते हैं। आप आज थोड़ा ज्यादा टाइम ले

लीजिए, पांच मिनट ज्यादा ले लीजिए, 10 मिनट ज्यादा ले लीजिए, लेकिन आप हमको बतलाइए कि गन्ना किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप हमें बतलाइए और मैं आपको सरकार की तरफ से पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस दिशा में कदम उठाएँगे।

श्री शरद पवार: गन्ना किसानों के बारे में तीन-चार इश्यूज पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि भारत सरकार ने जो FAP तय की, उसके कारण चीनी के दाम कम हो गए। चीनी देश में ज्यादा पैदा हुई है। हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जिसकी पैदावार ज्यादा होती है उसको ट्रेडर कभी अच्छी कीमत नहीं देता, क्योंकि उनको मालूम है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई की हम कीमत नहीं दे सकते। आज कम से कम भारत सरकार को 20 या 25 लाख टन बफर स्टॉक करने की आवश्यकता है। यह बफर स्टॉक करने के लिए गोदाम की समस्या वगैरह भी हो सकती है। जितनी चीनी मिलें हैं, इन सभी के पास इसमें इन्वॉल्व रखिए। सरकार की तरफ से भी यह करें। पैसा ओपन मार्केट से रोज करिए और जो इसके ऊपर इंटररेस्ट देना पड़ेगा, शूगर फंड में दो हजार करोड़ से ज्यादा रुपए होंगे और क्या किया मुझे मालूम नहीं मगर दो हजार या ढाई हजार करोड़ के आसपास होगा। इसमें वह इंटररेस्ट दीजिए जिससे यह समस्या हल होगी और सरकार के ऊपर भी बोझ ज्यादा नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम कितनी चीनी पैदा करेंगे, क्योंकि इस साल की जो स्थिति है इससे भी ज्यादा गन्ना अगले साल है। आज जिन राज्यों में गन्ने की पैदावार होती है वहां का किसान दूसरी फसल लेने को तैयार नहीं है। बारिश ज्यादा हो गई तो गन्ना को नुकसान नहीं, ओले पड़ गए तो गन्ना को कुछ नुकसान नहीं। गन्ना एक ऐसी फसल है कि यह सब समस्याओं को पार करके आगे जा सकता है, बचा सकता है। इसलिए इसकी जो पैदावार होती है, इससे हम इतनी चीनी तैयार कर सकते हैं। तो हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम पेट्रोल विदेश से इंपोर्ट करते हैं। वह पेट्रोल का इंपोर्ट हम कुछ कम करेंगे और इतना पैदावार करेंगे कि देश की फॉरेन करेंसी भी बचेगी, मगर इसमें कुछ-न-कुछ भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी देनी पड़ेगी फिर यह हम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि गन्ना किसानों की समस्या हल करने में हम कामयाब होंगे। जो दूसरे इश्युज हैं, जिनके बारे में मैं खाद्य मंत्री को डिटेल् भेजकर जो सुझाव होंगे, उनको देने के लिए तैयार हूँ।

आज जो परिस्थिति पैदा हुई है किसानों की, इसमें शायद इसकी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है या उस सरकार के ऊपर है, यह कहने की स्थिति आज नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर सोचना होगा कि हम इसमें लांग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या डिस्मिशन ले सकते हैं। आज एक तरह से किसानों के मन में डर पैदा हुआ है। डर पैदा इसलिए हुआ है कि इन महीनों में हम कभी बारिश नहीं देखते थे लेकिन बारिश हुई। यह मौसम ने एक ऐसी समस्या खड़ी की है इसलिए इसका डर है और दूसरा एक डर है कि हमारी जमीन का भविष्य क्या होगा? लैंड एक्विजिशन बिल से देश में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में लोग जगह-जगह मुझसे पूछते थे कि हमारी जमीन का क्या होगा। यह उनके मन में एक डर पैदा हुआ है। यह डर का नतीजा हमें पूरे किसानों के परिवार में देखने को मिल रहा है। इसलिए कुछ कदम जल्दी से जल्दी भारत सरकार की तरफ से उठाने की आवश्यकता है। जिन राज्यों में सूखा है, जिन राज्यों में ओले पड़े हैं, जिन राज्यों में ज्यादा बारिश हुई है वहां भारत सरकार की तरफ से जो राहत देनी है, वह राहत जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। जब प्रधान मंत्री जी ने एनाउंसमेंट किया है, वह क्राइटेरिया सामने रखकर वह राहत देनी चाहिए। आज किसी तरह की राहत नहीं दी

[श्री शरद पवार]

जा रही है। दूसरी बात यह है कि जहां नुकसान हुआ है वहां सब तरह की रिकवरी किसानों से सस्पेंड करनी चाहिए। रिकवरी सस्पेंड करने के बाद वैसे कुछ जगहों पर ज्यादा ही नुकसान हुआ है, वहां लोन वेवर के बारे में भी कुछ-न-कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो कहा कि हमने 70 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, आज इस तरह का एक मजबूती से कदम उठाने की आवश्यकता है, तो ही किसान इस संकट से बाहर निकल सकता है। तीसरा सुझाव इसमें यह है कि हमारे क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्थिति है, उसमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। चौथी बात जो मैंने कही कि प्रोक्योरमेंट के बारे में यह आपके सामने आई है। शूगरकेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस में और कोई सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है।

अब बात रही सिर्फ Land Aquisition के बारे में। सच बताऊं तो Land Aquisition के बारे में आज चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। विनय कटियार जी ने बहुत डिटेल्स में Land Aquisition के बारे में बात बताई, इसलिए इस बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है। हम इस सारे बिल के खिलाफ नहीं हैं। मुझे यहां तीन इश्यूज पर ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। पहली बात, हम जिस गांव की जमीन इरिगेशन या किसी और प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, मगर इस में 70 परसेंट किसानों की कंसेंट की प्रोवीजन की गई थी। यह प्रोवीजन इसलिए की गई थी क्योंकि पुराने कानून को बनाने के लिए गठित कमेटी का मैं चेयरमैन था और मैंने सभी के साथ इस बारे में discussion किया था। आज जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी भी सहमति ली थी और unanimously रिपोर्ट पास की थी।

दूसरी बात, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की है। गांव में जब हम किसानों की जमीन लेते हैं, तो किसानों को compensation देते हैं, लेकिन गांव में मजदूर और दूसरा काम करने वाला वर्ग भी होता है। किसान दूसरी जगह जाएगा और उसे चार गुना कीमत भी मिलेगी, लेकिन बाकी मजदूर व दूसरों लोगों की परिस्थिति क्या रहेगी? इसके लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए प्रोवीजन किया गया था। वह इस में नहीं है और मुझे लगता है कि इस बारे में रिलुक करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जमीन लेने के बाद कोई भी कदम नहीं उठाना, कोई एक्शन नहीं लेना और वह जमीन ऐसे ही पड़ी रहे, तो किसानों को अधिकार मिलना चाहिए कि जिस जमीन का इस्तेमाल जिस काम के लिए किया जाना था, वह उस रूप में इस्तेमाल नहीं की गई, तो उसे किसानों को वापस मांगने का अधिकार मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इन तीनों इश्यूज पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि ये सभी समस्याएं जब भी पैदा हों, हुकूमत में बैठे लोगों को सभी को साथ में लेकर उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपके सामने एक खत पढ़ना चाहता हूं। यह खत मुझे मिला है, सोनिया गांधी जी को मिला है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को भी मिला है और पार्लियामेंट की अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को मिला है। इसे मेरे मित्र, नितिन जयराम गडकरी, जो कि शरीफ इंसान हैं, ने उन्हें दी गई डाइरेक्शन के आधार पर लिखा है। नितिन गडकरी जी के इस खत में आप सभी लोगों की जो एक नीति है, उसमें कुछ इश्यूज पर आपके और मेरे मन में रिजर्वेशंस हैं और इनके बारे में पब्लिकली, प्राइवेटली, राज्य सभा में, लोक सभा में या विधान सभा में, हमारी पार्टी के लोगों ने या हम लोगों ने कुछ

बात कही होगी, इसलिए शायद प्रधान मंत्री जी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी होगी कि आप सभी विपक्ष के साथ इस के संबंध में बातचीत करके एक रास्ता निकालने के लिए कोशिश करें। यह जो रास्ता निकालने के लिए लेटर आया है, इस में लिखा है कि जो हम कानून बनाना चाहते हैं, जिससे आप सहमत नहीं हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या किसानों के खेतों को पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या गांवों में समृद्धि नहीं आनी चाहिए? क्या देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? हमने जो इस में बदलाव लाए हैं, वे इसी संदर्भ में हैं, जिसके लिए आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये negotiation, ये dialogue ये किसी के साथ बातचीत करने की लेंग्वेज नहीं है। इसमें arrogance है और मुझे लगता है कि इस में arrogance की बात नहीं की जानी चाहिए। देश के सामने इश्यूज होते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, संकट पैदा होता है, लेकिन ultimately हम सब लोगों की जिम्मेदारी इस देश के गरीब आदमी की मदद करने की होती है और इसीलिए हम सब लोग यहां बैठे हैं। चाहे आप यहां हों और हम यहां हों, कल हम यहां से वहां होंगे और आप यहां होंगे। यह आना-जाना होता रहता है, मगर कम-से-कम हुकूमत में आने के बाद हमें अपने पैर जमीन में रखकर सब लोगों के साथ अच्छी तरह से बात कर के एक रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ कि यह एक बहुत गंभीर परिस्थिति है और ऐसी गंभीर परिस्थिति में मैं कोई राजनीतिक लड़ाई करने की मनःस्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमें मिल कर, बैठ कर, सोच कर देश के किसानों को मदद करनी है। इसके लिए जरूरी है कि सदन के हमारे सभी साथियों का साथ मिलना चाहिए और साथ देने के लिए हमारी तैयारी है। धन्यवाद।

श्री के. सी. त्यागी (बिहार): वाइस चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से एक मिनट का इंटरवेंशन चाहता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You can speak when your turn comes.

श्री के. सी. त्यागी: सर, उसके लिए नहीं। पवार साहब ने जो एड्रेस किया है और हमारे मित्र रामविलास पासवान जी जो बोल रहे थे, उस पर एक मिनट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। He was addressing it to Pawar sahab. पवार साहब को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। चीनी मिल मालिकों का और चीनी किसानों का, दोनों का संकट एक जैसा है। चीनी मिल मालिक ISMA के साथ सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाते हैं कि 26/- रुपए क्विंटल के हिसाब से...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Your name is there.

श्री के. सी. त्यागी: सर, एक ही मिनट में मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, आप एलाउ नहीं कर रहे, तो रहने दीजिए।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): I am thankful to hon. Amma. In the light of the suicide committed by Gajender Singh, we are discussing the difficulties faced by the farmers. My humble submission to the House would not be just about the difficulties faced by the farmers but also about the preventive steps

[Shri A. Navaneethakrishnan]

to be taken by the Government and that also needs to be discussed by the august House. What has happened has happened. We cannot find a solution to the suicide committed by Gajender Singh. But the august House should look into the steps that can be taken to prevent them. Once agriculture was considered a prestigious activity. Now it is considered as a loss-making endeavour. There is no profit in agriculture. That is a reality. I would like to draw the attention of the House to the calamities and the Crop Insurance Scheme, which is now in existence but is of no use, because the farmers are not getting sufficient or appropriate compensation from it. The crop insurance should have right clauses to benefit the farmers.

Now I come to agricultural credit. I came to know, through the press reports, that the agricultural interest has been enhanced to 11 per cent. Originally, it was 7 per cent. If the payment is made on time, then 3 per cent waiver is given by the banks. According to press reports, now it has been enhanced to 11 per cent. It is really exorbitant. The farmers are not in a position to repay the loan availed by them with the 11 per cent rate of interest. As far as compound interest is concerned, as per the circulars issued by the Reserve Bank of India, the compound interest shall not be levied on agricultural loans. But invariably all the banks, including the nationalised banks, are levying compound interest. Also, they are applying the principle of non-performing assets here. My humble submission to the House is this. The concept of non-performing assets should not be made applicable to agricultural loans because it is not a commercial activity. This must be taken note of by the Government.

As far as procurement is concerned, in Tamil Nadu, hon. Amma has taken appropriate steps to see that the paddy produced by the farmers is purchased by the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation without any grievance from the farmers. We are also providing subsidies and all that. I would also like to draw the kind attention of this august House and especially of the Central Government to one point. Now, hon. Amma has succeeded in notifying the Cauvery Tribunal Award in the gazette. After notification of the Award in the gazette, it became the Supreme Court decree as per the provisions of the Inter-State River Water Disputes Act. The Tamil Nadu Government has also moved the Supreme Court for constitution of the Cauvery Water Management Board. It should have been constituted earlier in terms of, or as mandated by, the Tribunal Award. That has not been done so far in spite of the best efforts made by the Tamil Nadu Government and hon. Amma is waging an all-out war to see that the Cauvery Water Management Board is constituted at the earliest point of time. Why I am stressing this point is because the Karnataka Government now, in spite of the Award, is proposing to construct dams across Cauvery River. That is unconstitutional and illegal. That would affect the farmers

of entire Tamil Nadu.

So, through this august House, I request the Central Government to constitute the Cauvery Water Management Board. The AIADMK Party headed by hon. Amma expresses its deepest sympathy to the family of the deceased Gajendra Singh. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Shri Satish Chandra Misra; not here. Then, Shri Rajpal Singh Saini.

श्री राजपाल सिंह सैनी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बेमौसम आई बारिश से हुई किसानों की तबाही पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने मुझे किसानों के भारी नुकसान पर उनकी बात सदन में रखने का अवसर दिया।

महोदय, देश में हुई बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने किसान को बेहाल कर के रख दिया। यह किसी से छिपा नहीं है कि इसने किसान को बरबाद कर दिया है। किसानों की गेहूँ की फसल करीब-करीब पक कर तैयार थी, जिसे इस आसमानी आफत ने नष्ट कर दिया। गेहूँ की तमाम फसल धरती पर गिर गई, जिसके कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। खाली गेहूँ ही नहीं, बल्कि आलू, सरसों, चना, मटर व सब्जियों की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। जो किसान आलू की खेती करते थे, जो मध्य उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहां आलू की खेती बहुत ज्यादा तादाद में होती है, उनका आलू सड़कर पूरी तरह नष्ट हो गया है।

महोदय, आज खेती करना घाटे का सौदा हो गया है। इसलिए किसान का खेती से मोह भंग होता जा रहा है और ऊपर से इस तरह की बरबादी ने किसान को तोड़ कर रख दिया है। इस बरबादी को देख कर किसान बेहाल है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब किसान अपने खेत पर जाता है, तो अपने भविष्य की उम्मीद की बरबादी को देख कर उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वह अपने सामने संकट ही संकट देखता है। उसकी भविष्य की योजनाओं पर पानी फिर गया है। अब वह अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेगा, इस पर सोचने को मजबूर है। इसलिए आत्महत्या करना उसकी मजबूरी है।

महोदय, चुनाव से पहले माननीय प्रधान मंत्री जी, जगह-जगह जाकर चुनावी भाषणों में कहा करते थे कि किसानों, मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी हूँ, सच्चा हमदर्द हूँ और जब किसानों की फसल का मूल्य तय किया जाएगा, कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, वे भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं, वे किसान की समस्याओं को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय वादा किया था और उसने अपने घोषणापत्र में भी इस बात को कहा था कि जब किसानों की फसलों का मूल्य निर्धारित किया जाएगा, तब 50 परसेंट उन्हें फालतू दिया जाएगा, यानी डेढ़ गुना ज्यादा मूल्य दिया जाएगा, लेकिन केवल तीन परसेंट बढ़ाया गया है। यह किसान के साथ मज़ाक नहीं, तो और क्या है?

महोदय, हमें बुलेट ट्रेन से कोई एलर्जी नहीं है। हम बुलेट ट्रेन के विरोधी नहीं हैं, बुलेट ट्रेन चलाइए। मुम्बई से अहमदाबाद तक चलाएं, लेकिन उस बुलेट ट्रेन से किसान को क्या लाभ होगा? जो किसान आत्महत्या कर रहा है, जो मजबूर है, जो अपने बच्चों का पालन-पोषण भी

[Shri T.K. Rangarajan]

5.00 P.M.

नहीं कर सकता, उसकी फसल का रेट केवल तीन परसेंट बढ़ाया गया और बुलेट ट्रेन, जिसमें 60 हजार करोड़ रुपए लगेंगे, उससे किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी, आप किसान हैं, इसलिए मेरी मांग है कि आप किसान के बारे में सोचें।

स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं। तो जो 70-75 परसेंट किसान हिंदुस्तान में बसते हैं और उनके साथ जो खेतिहर मज़दूर रहते हैं, उनको इन स्मार्ट सिटीज़ से क्या लाभ होगा? किसानों के बारे में जब तक आप नहीं सोचेंगे, तब तक आप देश का भला नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, इन्हीं सब बातों को देखकर मेरी नेता, बहिन कुमारी मायावती ने, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल को किसानों के विरुद्ध केंद्र के द्वारा लाए जा रहे भूमि अधिग्रहण बिल जैसे काले कानून को रोकने के लिए व केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में मुआवज़ा न दिए जाने के लिए बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसे हम सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने 2, 3, 4 और 5 मई को पूरे देश में प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तय किया है।

महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। यहां तो किसानों की पहले से ही बहुत दयनीय स्थिति है। अभी शरद पवार जी इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि यहां गन्ना किसानों की क्या स्थिति है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत तादाद में गन्ना पैदा होता है और जो मेरा जनपद है, वहां तो गन्ने की भरमार है। किसान गन्ने की फसल को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मान्यवर, किसानों का पिछले साल का ही पेमेंट नहीं हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पासवान जी ने इस पर अफसोस भी जाहिर किया और चिंता भी व्यक्त की है कि किसी भी तरह से किसानों का भला होना चाहिए और उन्होंने शरद पवार जी से पूछा भी है कि हम किस तरह से किसानों का पेमेंट कर सकते हैं। पिछले साल का ही अरबों रुपया बकाया है, इस साल गन्ने का सही रेट नहीं मिल रहा है, सही मूल्य नहीं मिल रहा है, भुगतान की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को उम्मीद थी कि किसानों का जो गेहूं खड़ा था, उसकी जरूरतों की भरपाई गेहूं की फसल, आलू की फसल और सरसों आदि की फसल पूरी कर देगी, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने उनका यह मनसूबा भी चकनाचूर कर दिया।

महोदय, आज किसान तबाही के कगार पर है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसी परिस्थितियां उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही हैं। किसान फसल का बीमा भी कराता है, तब भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता। अभी राम गोपाल जी बता रहे थे कि केवल 2 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों ने किसानों को दिया है, जबकि 2,000 करोड़ रुपया वे प्राप्त कर चुकी हैं। यह किसानों के साथ मज़ाक नहीं तो और क्या है? यह किसानों का शोषण नहीं तो और क्या है? मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए संकट की इस घड़ी में किसानों पर जो बैंक का कर्ज है, वह माफ किया जाए तथा उनके नुकसान का पूर्ण आकलन करके, तुरंत समय बरबाद किए बगैर केंद्र व प्रदेश की सरकार उन्हें मुआवज़ा देने का प्रबंध करे।

मान्यवर, मैं एक बात की मांग और करता हूँ कि जब एम.एस.पी. तय हो, जब किसानों की

फसल का मूल्य तय हो, उसमें कोई किसान जरूर बैठे। कोई धोती वाला किसान जब तक मूल्य तय करते समय नहीं बैठेगा, तब तक किसानों को लाभकारी मूल्य मिल ही नहीं सकता है। जो किसानों की फसल का मूल्य तय करते हैं, जो टाई लगाकर ए.सी. कमरों में बैठते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि कितनी बार गन्ने को पानी दिया जाता है, जिनको पता भी नहीं होता कि कितनी बार गेहूं की निराई की जाती है, ऐसे लोग किसानों की फसल का मूल्य तय करते हैं। यह किसानों के साथ मज़ाक है। जब तक मूल्य तय करते समय किसान उसमें नहीं बैठेगा, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। यह भी मेरी सरकार से मांग है, कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री, दोनों यहां बैठे हैं, तो जब किसानों की फसल का मूल्य तय हो, तो उसमें किसानों का प्रतिनिधि तो जरूर होना चाहिए, तभी किसानों का भला हो सकता है।

अंत में, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह मांग करता हूं कि जो वायदे माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों से किए थे, आज उन वायदों को पूरा करने की जरूरत है। वे उन्हें पूरा करें और सदन में आकर इस चर्चा में हिस्सा लेकर इन बातों का जवाब दें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, the scenario of agriculture in India is extremely bleak as far as the small and marginal farmers are concerned. The peasantry is being forced to become agricultural workers or migrant workers. We see thousands and thousands of workers from Nepal, Bihar and Odisha moving towards Southern India.

In Southern India, especially, in Tamil Nadu, we have thousands and thousands of migrant workers. And people from villages are coming to cities. To the Chennai city alone, more than ten lakhs of people are coming and going every day. So, this is the situation which is generally affecting agriculture. Three lakhs of farmers committed suicide in the last two decades. According to the National Crime Records Bureau, there is suicide of two farmers every hour. We can see that there is one rape every minute and two suicides by farmers every hour. This is the country of tragedy, whether it has been the UPA Government or the NDA Government. I am mentioning it about the UPA also. Two decades of implementation of their neoliberal policy, their economic policy, has had a drastic impact on peasants' livelihood. They appointed the M.S. Swaminathan Committee but it never thought of implementing its recommendations. The Swaminathan Committee recommended up to four per cent interest for farmers. But it has never been taken into consideration. The entire Committee's exercise and the money spent on it have become a waste. And, when we look at public investment in agriculture, in real terms, there has been a steady decline and in respect of the share of agriculture-allied sector also, the total Plan expenditure is negligible. We talk about linking of rivers. For the past forty to forty-five years, we have been talking about linking of rivers. But we never attempted to link the rivers. Stagnation in employment is also increasing. I would also request the Government to kindly revisit their Seed Bill because the Seed Bill is not helping

[Shri T.K. Rangarajan]

the farmers. Input cost is rising if we compare with the Minimum Support Price. More than the Minimum Support Price, input cost is rising every year. There is no ceiling on input cost. Even, in that, you had ignored the Swaminathan Committee's recommendations. On MSP and input cost, he created a ratio. They are completely ignoring that. Sir, please permit me to read The Times of India dated 3rd February, 2015. It reports: "About 90 lakhs of farmers in Maharashtra have been affected by drought." This was reported on 3rd February, 2015. Now we are in April. There has been the highest number of suicides in Maharashtra. Due to inadequate monsoon and deepening distress, the Maharashtra Government declares that 60 per cent of villages in Maharashtra are facing drought situation. Then, sugarcane farmers, throughout India, including Tamil Nadu, are the worst affected. More than ₹15,000 crores, according to the Indian Sugar Mill Owners' Association, are to be paid. But this has not been paid. As correctly stated by hon. Sharad Pawar, the Government must, at least, pay the minimum price immediately. They have prescribed the recovery rate of 8.5 per cent. The Government should ensure that that price goes to the farmers. Otherwise, this would only increase the bankruptcy of farmers and the suicide cases. Sir, this year, if you take the case of Tamil Nadu, I have my own experience of talking to the people. The paddy yield has come down. Even the paddy price, when we compare it to the last year, has come down.

So, the Government is not looking after that.

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA (Tamil Nadu): Sir, it is wrong.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): You can speak when your turn comes.

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA: Sir, it is wrong. The Government is functioning well *...(Interruptions)...* Why is he saying that? He has to clearly spell out the reasons *...(Interruptions)...*

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, there is ambiguity in his term 'Government.'

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA: Sir, one should not accuse any Government like this *...(Interruptions)...*

SHRI T.K. RANGARAJAN: I am speaking in the Indian Parliament as a representative of the State here.*

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: He must be specific.

SHRI T.K. RANGARAJAN: If I want to mention the name of the AIADMK

* The Hon. Member spoke in Tamil.

party, I will mention it. I am talking about the Government of India...(Interruptions)...

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA: Sir, we would not allow such criticism...(Interruptions)...You cannot do that...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You have made your point.

SHRI T.K. RANGARAJAN: I have no hesitation to criticize AIADMK. Now, I am not criticizing the AIADMK.

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA: You cannot criticize like that. We will not allow that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You have already recorded your view.

SHRI T.K. RANGARAJAN: See, you have to understand. What can I say?

SHRI C.P. NARAYANAN (Kerala): Sir, we can also make comments. Sir, when AIADMK people speak, we can also rise and disturb them. So, this is not proper to disturb him...(Interruptions)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): This is not the way.

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA: Sir, let him talk on the farmers, Indian farmers.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): What? Is Tamil Nadu not in India, Sir? And, don't we have the right to talk about Tamil Nadu?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: No, no. He did not talk about Tamil Nadu. He made an allegation ...(Interruptions)... Don't say like that ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly sit down. We are discussing a very serious issue. Please, sit down...(Interruptions)...

SHRI T.K. RANGARAJAN: When I talk about Maharashtra, I don't think that Members from Maharashtra rise and say that there is no suicide there!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Rangarajan, kindly address the Chair.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, the yield of paddy has come down; it is a fact. It has come down throughout India. In Tamil Nadu also it has come down. I have my own personal experience with farmers in Tamil Nadu. And, Sir, the prices have also come down. So, naturally, the small and medium farmers are leaving their land and becoming unskilled labour.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Rangarajan, you have another Member to speak from your party.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, this year, the banana price has also come down. For example, the price of one of the most remunerative banana, Nandren, last year was ₹ 35 per kg. But, this year it is only ₹ 9-10. It is a fact.

Regarding water problem in Tamil Nadu, an all-party delegation met the hon. Prime Minister. We asked the hon. Prime Minister to intervene. If Karnataka Government construct Meghdoot, the entire delta will become desert. Whatever we produce in Tamil Nadu, it is only for nation. That also we told to the hon. Prime Minister. Hon. Prime Minister replied, 'Because of urgency, I arranged this meeting.' But, till now, we have not able to get any information whether the hon. Prime Minister intervened with the Government of Karnataka, whether he called the Government of Karnataka and the Tamil Nadu Government; nothing has happened.

Finally, take the example of Kerala. I don't think that Kerala people will stand and shout. The price of rubber last year per kg was ₹240. But, this year, the rubber price is ₹90-100. How do you expect rubber producers, and the plantation farmers to work?

Sir, take West Bengal. More than 32 potato farmers committed suicide so far. The reasons are these. The Government is not procuring potato. When the Left Front Government was in power, we were procuring potatoes. Now, it is stopped. There are no cold storages. So, these are the reasons behind distress of the farming community. And, Sir, it creates more problems in UP, Bihar, Odisha and everywhere. So, the entire country, from Himalayas to Kanyakumari, whoever rules, the farmers facing biggest problems.

In view of this, I request the Government to intervene. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Shri Bhupinder Singh. You have got four minutes. Kindly conclude in five minutes.

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Sir, I have not seen anybody completing their speech within time. This has already been decided here that sky is the limit. That has been decided at the beginning of the debate.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, even the rain is not coming on time.

SHRI BHUPINDER SINGH: Nothing is coming on time. And the worst is nothing is happening with the farmers. उपसभाध्यक्ष महोदय, हम लोग आज यहां देश के

उस वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसने आज हमको स्वाभिमानी बनाया है और जिसने हमें दुनिया के किसी भी देश के समाने सिर नहीं झुकाने दिया है, वह एक ही वर्ग किसान वर्ग है। हम जिसकी संख्या के बारे में बार-बार बोलते हैं कि यह देश एक कृषि प्रधान देश है, यह एक स्लोगन बनकर रह गया है। कृषि प्रधान देश में 'जय जवान, जय किसान' की बात हमारे पूर्व प्रधान मंत्री शास्त्री जी ने की थी। आज हम यहां 'जय जवान' के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और करना भी चाहिए, लेकिन आज हम उस 'जय किसान' को क्यों भूल गए हैं? हमने पहले भी यहां चर्चा की है कि हम यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, हमारा कोई न कोई बुजुर्ग, जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है, वह भी उसी मिट्टी की पैदावार के पैसे से ही, यहां पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर एसेम्बलीज़ में बैठकर मंत्री बने हैं और चाहे वह प्रधान मंत्री बने या चाहे जो भी बने, यह उन्हीं की देन है। आज उनके बारे में जानकर मुझे दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब यहां वाले वहां बैठते हैं, तो वे इनको इधर अंगुली दिखाते हैं और जब वहां वाले इधर बैठ जाते हैं, वे उनको अंगुली दिखाते हैं। यह सदन अंगुली दिखाने वाला सदन नहीं है। यह राज्य सभा का सदन, जहां आज चर्चा चल रही है, यह पॉलिटिक्स से ऊपर है। देश के उस वर्ग के लिए आज बार-बार जो बातें की जा रही हैं, मैंने कहा था कि यहां बातें करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ निकलेगा या नहीं, उनके लिए अंत में कुछ निकलेगा कि नहीं? जब पिछली बार हमने यहां पूरे हाउस में एक आवाज से बात की, तो चलो कुछ तो निकला। एग्रिकल्चर मिनिस्टर यहां बैठे हैं, मैंने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया था कि आपको अगर इस देश को हरियाली वाला देश बनाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत को एक बनाना है, भारत को विश्व में प्रतिष्ठित करना है, तो किसान को मत छोड़िए, किसान की आत्मा को देखिए और उसके अंदर जाकर झांकिए कि उसको क्या तकलीफ है? अभी जैसा कि श्री शरद पवार जी ने उस चिट्ठी का एक अंश बताया है। वह यह जानता है कि वह यहां आकर लड़ नहीं सकता है, लेकिन उसने चिट्ठी के माध्यम से अपना दुख प्रकट किया।

सर, यहां कुछ बातें हुई थीं, हम उनको नौ हजार रुपया प्रति हैक्टेयर के लिए देते थे, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने उसको बढ़ाकर इरिगेटेड लैंड में तेरह हजार रुपया प्रति हैक्टेयर किया है। जो अन-इरिगेटेड लैंड में साढ़े चार हजार प्रति हैक्टेयर था, उसको भी पचास प्रतिशत बढ़ाया है। हमने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा था कि अगर 33 per cent ही क्रॉप लॉस है, उसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। उससे पहले इंश्योरेंस कम्पनी से बात हुई या नहीं? प्रधान मंत्री या सरकार के किसी मंत्री ने इंश्योरेंस कम्पनी से क्या चर्चा की कि उसको इंश्योरेंस कम्पनी मानेगी या नहीं मानेगी?

सर, यहां इंश्योरेंस की बात है और मैं आपके माध्यम से चार-छः प्वाइंट्स बोलना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट कमीशन है, शैड्यूल्ड ट्राइब कमीशन बना, ओबीसी कमीशन बना, वीमेन कमीशन बना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सब तरह के कमीशन बने, लेकिन किसान के लिए कोई कमीशन नहीं बना। हम कल तक जिस किसान को 85 per cent कहते थे, आज सब रिपोर्ट्स में आ रहा है कि आज किसान की तादाद 65 per cent से भी कम होती जा रही है। अगर यही हाल रहा, तो जब 2025 में संसद में चर्चा होगी, तो उस समय किसान इस देश में नहीं रहेगा। अगर उनके साथ यही व्यवहार रहा और यही रवैया

[श्री भूपिंदर सिंह]

रहा, तो कोई और पैदावार नहीं करेगा। हम लोग वोट के समय उनसे बहुत वायदे करते हैं, लेकिन वोट के बाद हम उस किसान को भूल जाते हैं और उसको पीछे छोड़ देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह कर सकती है कि वह हर राज्य और केंद्र में किसानों के लिए एक कमीशन बनाए? जब उसको लोन में तकलीफ होती है, तो वह सुसाइड करने से पहले कई लोगों के दरवाजे पर जाता है। जब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, तभी वह अंत में जाकर अपनी जान देता है। उससे पहले वह कौन से दरवाजे में जाए, जो दरवाजा उसकी बात को गौर से सुने। आज वैसे कमीशन की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ, इस आवाज के साथ सारा सदन, सारी सरकार इससे एकमत होगी कि किसान के लिए एक ऐसा कमीशन बनाया जाए, जहां पर जब वह दरखास्त देगा, वह जिस बैंक के बारे में लिख कर देगा, तो उस बैंक के सीएमडी को भी वहां बुला कर वित्नेस के तौर पर बिठाया जाएगा। यहां हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर बैठे हैं। मैं उनसे एक अर्ज करना चाहूँगा कि जब आपने वर्ल्ड बैंक की सहायता से एफसीआई गोदाम बनाए, तो किसानों से कहा गया कि यह एग्रीकल्चर लोन है। आपको जिस किसान ने जमीन दी, जिसने वहां एफसीआई का गोदाम बनाया, उसके साथ बैठ कर बैंक ने श्री-पार्टी एग्रीमेंट किया। एफसीआई ने 6 साल तक बैंक को एक पैसा भी नहीं दिया, न उस किसान को दिया, जिसके यहां गोदाम बना था। बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी किराया है, FCI will pay it to the Bank as an installment till the loan is repaid. उसके बाद केस हुआ, तो बैंक ने कहा कि हमें 16 लाख 4 हजार रुपए मिलने हैं, तो कोर्ट के सामने एफसीआई ने चेक काट कर दिया। उसके 10 साल के बाद बैंक किसान को नोटिस भेजता है कि तुम्हारे ऊपर इतने लाख रुपए बाकी हैं। उसके बाद भी जब वह वन टाइम सेटलमेंट करता है, तो वन टाइम सेटलमेंट की बात होती है, लेकिन उसके 8 साल के बाद भी यह चल ही रहा है। अगर आप इस सदन में अनुमति देंगे, तो मैं सब पेपर्स लाकर यहां दूँगा। कहां सुनवाई है? उसकी बात कौन सुनता है? यह मैं किसी फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे, तो मैं आपके सामने सब पेपर्स लाकर रख दूँगा।

श्री रामविलास पासवान : आप हमें पेपर्स कल दीजिए, हम सोमवार को इसके बारे में पूरा पता लगा कर बता देंगे।

श्री भूपिंदर सिंह : थैंक्यू सर, बात यह है कि आज किसान के लिए यहां जो भी बात हो रही है, हमने बार-बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात उठाई। जब किसान की जमीन ली जाएगी, तो उससे रेट क्यों नहीं पूछा जाएगा? उसका बेंचमार्क रेट भी सरकार तय करेगी। सरकार जो रेट तय करेगी, उसके बारे में आज आप कह रहे हैं कि आप किसान को चार गुना दे देंगे। उससे क्यों नहीं पूछा जाएगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? उसकी राय वहां क्यों नहीं ली जाएगी, उससे क्यों नहीं पूछा जाएगा, जब वह उसकी सम्पत्ति है?

सर, मैं आज आपसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपने हाउस में देखा कि कॉटन की क्या हालत हुई। मैं ओडिशा में कालाहांडी-केबीके जिले में कपास के बारे में बताना चाहता हूँ। कालाहांडी की कपास हिन्दुस्तान की सबसे बेस्ट क्वालिटी की कपास है। वहां कपास खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 4 हजार रुपए में 50 रुपए की बढ़ोतरी

की गई, जबकि पिछले साल कपास का रेट 7,600 रुपए था। आज चीन ने कपास लेना बंद कर दिया, इम्पोर्ट बंद कर दिया, तो क्या उसके लिए हिन्दुस्तान के किसान जिम्मेदार होंगे? अगर चीन इसे बंद करता है, तो क्या हिन्दुस्तान की सरकार इतनी कमजोर है, क्या इसमें ताकत नहीं है कि वह किसान के सामने खड़े हो और कहे कि अगर चीन इसे नहीं लेता है, तो हम चीन से टेक्सटाइल्स का कोई भी इम्पोर्ट नहीं करेंगे, चीन से कोई भी गारमेंट इंडिया नहीं आ सकेगा, आज अगर वह हमारा कॉटन लेने के लिए तैयार नहीं है? यह क्या बात है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly conclude.

श्री भूपिंदर सिंह : आज हम किसान से कहते हैं कि कॉटन पैदा करो, तो वह कॉटन पैदा करता है, हम उससे कहते हैं कि गन्ना पैदा करो, तो वह गन्ना पैदा करता है, हम उससे कहते हैं कि आलू पैदा करो, तो वह आलू पैदा करता है, प्याज पैदा करता है, टमाटर पैदा करता है, हम जो कहते हैं, किसान वही करता है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay; thank you. Please conclude.

श्री भूपिंदर सिंह : लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। आज तक आजादी के 67 साल बाद भी अगर हम लोग उसे एक मार्केट नहीं दे पाए, उसके लिए एक परफेक्ट मार्केट नहीं कर पाए, तो मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर एक दिन नहीं, बल्कि दो दिन तक चर्चा चले। उन किसानों से उनकी राय पूछी जाए कि मार्केटिंग में एफसीआई कैसे सामने आए। एफसीआई को और बढ़ावा दिया जाए और मार्केट के लिए जहां कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है, वहां वह उसकी मदद करे।

सर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज मैंने एक स्पेशल मेशन दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि कम-से-कम पांच किसानों को, जो इन्वोवेटिव किसान, टैलेंटेड किसान हैं, जिन किसानों ने आज हम लोगों को स्वाभिमानी बना कर ऐसी पैदावार दिखाई है, जहां हमारा विज्ञान फेल कर गया, उनको भी पद्मश्री मिलना चाहिए। जैसे हम खिलाड़ियों को पद्मश्री देते हैं, फिल्मस्टार्स को देते हैं, लेखकों को देते हैं, कवियों को देते हैं, नेताओं को देते हैं, तो किसानों को पद्मश्री क्यों नहीं दे सकते? इसके लिए हम पांच ज़ोन निर्धारित करें—ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल ज़ोन। पांच किसानों को पद्मश्री दिया जाए, इसके लिए एक मैंने स्पेशल मेशन भी दिया है, जो आज या कल तक यहां आ जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude.

श्री भूपिंदर सिंह : किसानों को पद्मश्री दिया जाए और समाज में इज्जत का स्थान दिया जाए। आज अगर वे किसी दफ्तर में चले जाते हैं, तो उनको पानी का गिलास तक नहीं मिलता है। अगर वे धोती पहन कर जाते हैं, तो उनसे सही तरीके से कोई बात भी नहीं करता है। इसके ऊपर एक पूरे दिन यहां पर चर्चा की जाए, तभी किसान को उसका सम्मान मिल सकेगा।

[श्री भूपिंदर सिंह]

दिल्ली जैसे शहर में किसान ने आत्महत्या कर ली, यह हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। देश की राजधानी में, सबकी उपस्थिति में वह व्यक्ति वहां फांसी पर चढ़ गया, उसकी जान चली गई और यहां पर हम संविधान की बातें करते हैं। यह संविधान हमें बताता है, "In a Welfare State, it is the commitment of the Government to save the life and property of every individual." हर व्यक्ति की जान की सुरक्षा करना देश की सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर सरकार अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं करती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, वह शब्द मैं यहां पर बोलना नहीं चाहता हूं, आने वाला समय यह बताएगा।

मैं कहना चाहता हूं, जहां पर ऐसी सुसाइड्स हुई हैं, जहां पर पिछले साल या पिछले ग्यारह महीनों में जितने किसानों ने भी सुसाइड्स की हैं ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude.

श्री भूपिंदर सिंह : सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यहां पर अभी हमारे केवल एक मंत्री, पासवान जी बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं, he is very practical. वे जो भी बात सोच लेते हैं, उसे करते भी हैं, I know that. जहां-जहां पर किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, सरकार की तरफ से उनके परिवारों से जाकर मिला जाए, उनसे बात की जाए और पूछा जाए कि क्या कारण है, क्यों उसने सुसाइड की है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay; I have to call the next speaker. Please conclude.

श्री भूपिंदर सिंह : हम उनसे ही जाकर पूछें कि क्या करने से सुसाइड्स बंद होंगी। इसके ऊपर उनसे चर्चा हो। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, everyone has defined the issue very clearly. I want to share with this House that what we are facing is a major nationwide crisis which is not going to end with this unseasonal rain. At least for the time being, the Central Government must call the State Chief Ministers' and find out which are the districts which need immediate attention. Loan-waiver is not the answer. District-wise relief must be urgently explored. Sir, this unseasonal rain and the uncertain monsoon, which we confront, is due to global warming. This is not going to get over this year, and we can hope for better times next year.

Shri Ghulam Nabi Azad said that in Kashmir you used to have four seasons, and now the seasons are merging with each other, and the real danger that India, being a food surplus country, may have to face is a crisis of food shortages. Sir, this is a very, very serious issue. I am glad that the hon. Home Minister is also here.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

Sir, this is not just the issue of what has happened now. Hon. Home Minister, this is a long-term management challenge for the nation. It requires the Government's leadership to treat it as a natural emergency. I never speak too much. I have given a few points. I have been given four minutes. But I want to finally talk about the diversion of the ice melt from Tibet by China, which will render sooner rather than later the States served by the Brahmaputra region infertile. So, we are now looking at a global man-made climate not only from the carbon dioxide load but also what China is doing, which has been denied on the floor of the House. I urgently request you to have this matter discussed separately. This may appear to be a separate issue. But, it is a closely related danger. Therefore, Sir, please do not take it as a 2015 issue. This is a long-term issue. The Government and the Opposition must get together — it is a national issue — and stop pointing fingers at each other and deal with it as a national urgency. I have tried to give you a longer term view because the shorter term viewpoint has correctly been given by several Members of Parliament before me. I strongly urge the whole House to take upon itself the climate change crisis that is going to face India year after year. This is not the last year and it won't be the last year. I urge upon the Government and I also urge upon the Opposition to get together — because it is the responsibility of this House — in order to start talking about it publicly and provide a forum for all the scientists and agriculturists to come together to face this challenge.

I thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for providing me this opportunity to speak. I am glad that the hon. Home Minister and the hon. Food Minister are here. I conclude my speech. Thank you very much.

सरदार सुखदेव सिंह ठिंडसा (पंजाब): उपसभापति महोदय, आज हम एक ऐसा इश्यू डिस्कस कर रहे हैं कि जो देश का अन्नदाता है, उसकी तरस खाने योग्य हालत देख कर बहुत दुख होता है। अगर आप टीवी पर भी देखते हैं, तो जैसे उसने अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह पाला हो, वह अपनी फसल को देख कर बैठा हुआ रो रहा है, तो हर आदमी की आँखों में आँसू आ जाते हैं।

मैं 40-45 साल से राजनीति में हूँ। मेरा खयाल है कि इतनी बड़ी क्राइसिस देश में पहले कभी नहीं हुई होगी। पहले कभी किसी स्टेट में ऐसा हो सकता था, कभी किसी अन्य स्टेट में हो सकता था, लेकिन आज सारे देश में बहुत बड़ी क्राइसिस आई है। आज यह कोई पोलिटिकल इश्यू नहीं है। हम सभी मिल कर इसके हल के लिए कुछ सोच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले तो किसान का इतना नुकसान हो रहा है और जब वह मंडी में फसल लाता है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं इनको कहूँगा कि बारिश के कारण उसका कलर ठीक नहीं रहा, तो उस पर इन्होंने कट लगा दी। उसमें मॉयश्चर होने पर भी कट लगा दी और कलर पर भी कट लगा दी है। हम पंजाब गवर्नमेंट के और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के आभारी हैं कि उन्होंने और कैबिनेट ने फैसला लिया तथा पंजाब में पूरी एमएसपी की बात कर रहे हैं। लेकिन, देश में आज

[सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा]

यह हालत है कि उस पर कट लगा दी गई, तो इसमें किसान का क्या कुसूर है, वह तो कुदरत ने कर दिया। जो एमएसपी है, किसान को उसकी पूरी कीमत देनी चाहिए।

दूसरा यह है कि हमारे सभी साथियों ने कहा कि एमएसपी फिक्स करने का तरीका भी गलत है। आज इसका कोई तरीका नहीं है। न तो उसे साइंटिफिक तरीके से फिक्स करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने जो रिकमेंड किया है, न ही उससे करते हैं, जो स्वामीनाथन कमिशन ने लिखा है, न ही उससे करते हैं और न ही प्राइस इंडेक्स पर उसको फिक्स करते हैं। तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि एमएसपी फिक्स करने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनायें, जिससे किसान को कुछ न कुछ तो मुनाफा जरूर हो। अगर आप आज के एमएसपी का रेट देखेंगे, तो आप हैरान रह जायेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ ने जो लिखा है या स्वामीनाथन कमिशन ने जो लिखा है, उस पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अब उसको एफसीआई कह लें या सरकार कह लें, उस कीमत पर भी खरीदने पर ये कह रहे हैं कि इस पर value cut लगा दो।

सरकार से मेरी एक और विनती है। सभी Hon'ble Members ने कहा है कि पहले तो इंश्योरेंस स्कीम ही किसान के लिए नहीं है। वे प्रति एकड़ के हिसाब से उसका प्रीमियम लेते हैं, लेकिन जब देने का वक्त आता है, तो देखते हैं कि सारे गांव में कम से कम 25 परसेंट खराबी होगी, तभी उसको कुछ मिलेगा। तो इंश्योरेंस कम्पनीज़ को भी प्रति एकड़ के हिसाब से, हर एकड़ का देख कर उसका निर्धारण करना चाहिए। दूसरी बात यह है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, कि जो लोन है, वैसे तो वह माफ होना चाहिए, अगर यह माफ नहीं होता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है, वह माफ हो और जो किर्स्ट हैं, उनको आगे कर दिया जाए, क्योंकि अभी कोई किसान उसको नहीं दे सकेगा। ये मेरी दो-तीन बातें हैं।

जहां तक बोनस की बात है, तो इस संबंध में मेरा यह कहना है कि हर साल कुछ न कुछ बोनस दिया जाता है, इसको राज्य सरकार भी दे सकती है, चूंकि आज सारे देश में क्राइसिस है, इसलिए केंद्र सरकार को उनके लिए कुछ न कुछ बोनस देना चाहिए।

अगर मैं ठीक हूँ, तो 1980 में natural calamity fund बना था, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 33 परसेंट ज्यादा भी देंगे, उस समय 3,400 रुपए प्रति एकड़ था और अब वह 5,400 रुपए प्रति एकड़ हो गया है। 5,400 रुपए प्रति एकड़ तो आज के समय में कुछ भी नहीं है। इतने साल के बाद यह रिवाइज हुआ है, इसको और बढ़ाना चाहिए और किसान का जितना खर्च होता है, उसको उतना मिलना चाहिए। जो मुआवजा है, यह सिर्फ व्हीट के लिए ही नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए है। **...(समय की घंटी)...** सर, मेरे तो अभी दो मिनट भी नहीं हुए हैं। सर, जब मैं बोलता हूँ, उसी समय आप घंटी बजाते हैं। **...(व्यवधान)...** इतना बड़ा agrarian crisis पहले कभी आया भी नहीं है। अगर आलू के संबंध में सोचेंगे, अगर उसकी जमीन का ठेका भी नहीं लगाएं, तो आलू के लिए 64,000 रुपए प्रति एकड़ खर्च होता है। उसको मिला क्या है? ऐसी स्थिति में वह तो बिल्कुल तबाह हो गया। उसको भी 5,400 रुपए ही मिलेगा।

मैं मंत्री महोदय से यह विनती करूंगा कि अभी तक वह भी नहीं मिला है। जो मुआवजा मिलना है, वह immediately देना चाहिए। आज किसान मंडियों में रो रहा है, मंडियों में उसका गोहूँ नहीं खरीदा जा रहा है। इस पर आप ध्यान दीजिए।

यह कोई political issue नहीं है, हमारे कई सदस्यों ने Land Acquisition Bill पर अपनी बात कही, लेकिन आज उस पर बहस नहीं है, जब यह बिल आएगा, तब इस पर बहस हो सकती है। गुलाम नबी आज़ाद जी कह रहे थे कि हमारी सरकार यानी यूपीए गवर्नमेंट ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो स्टेट सेन्ट्रल पूल में 50 परसेंट से ज्यादा अनाज देता है, उसे 70 हजार करोड़ रुपए में से क्या मिला? सिर्फ 700 करोड़ रुपए। पंजाब राज्य, जो सेन्ट्रल पूल में 50 परसेंट से ज्यादा अनाज देता है, उसको 70 हजार करोड़ रुपए में से सिर्फ 700 करोड़ रुपए मिले। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पंजाब ने क्या बुरा किया है कि उसको 70 हजार करोड़ रुपए में सिर्फ 700 करोड़ रुपए मिले, जो सेन्ट्रल पूल में 50 परसेंट से ज्यादा अनाज देता है, जब कि उतना ही नुकसान बाकी लोगों का भी हुआ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार कम से कम से यह जरूर देखे कि पंजाब के साथ जो इतना बढ़ा... जब इस देश को जरूरत पड़ी, जब यह देश कभी ऑस्ट्रेलिया के पास जाता था, कभी किसी और के पास जाता था, तब पंजाब ने green revolution लाकर अपनी पैदावार को बढ़ाया। जैसा पवार साहब कह रहे थे कि अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वह पंजाब की देन है, क्योंकि हम 80 परसेंट देते रहे हैं। पंजाब सरकार ने तो कर दी है, जैसा कि मंत्री साहब ने कहा है, उसके अनुसार पंजाब के किसानों की भरपाई उनको करनी चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... जो एमएसपी देने की बात कही गई है, वह दें। हमारा यही अनुरोध है। धन्यवाद।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, on behalf of my Party, All India Trinamool Congress, I join the hon. Members in expressing our deep concern and anguish over the suicide of farmers almost in every part of the country which is going unabated.

Sir, according to a recent report published by the Centre for Human Rights and Global Justice at New York University, it appears that over the past 15 years, suicides have claimed the lives of an estimated 2,50,000 families in India, farming families, and the death count is still climbing. Sir, every thirty minutes – according to that report — Farmers Suicides, Human Rights and the Agrarian Crisis in India are going on unabated. Sir, what is the latest situation? The latest situation is that in 2014 alone, as per the Government's figures, 1109 suicides took place, and, out of those 1109 suicides, 986 took place in Maharashtra, 184 in Telangana and 29 in Jharkhand. Now, even in Delhi yesterday, in Rajasthan yesterday, the farmers have committed suicides. Why are they committing suicides? We are not on blame game that this Government is not doing anything or that Government has not done anything. We are not on a blame game. But we would like to focus on the issue, the crisis, the unprecedented crisis that India is confronted with. Sir, I would like to mention some facts which are relevant to figure out that why the farmers are committing suicides. The main reasons, according to me, are: 40 per cent of the farmers are in debt, according to research reports; the cost of inputs is increasing

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

faster than the price of produce; and droughts and floods are occurring every five years affecting 40 per cent of the agricultural land in different parts of the country. These are the problems in a nutshell; and, in addition to that, more than 60 per cent of agricultural area is dependent on rain only. Even after 67 years of Independence, farmers are still dependent on rain only in 60 per cent of cultivable land area. Some of the irrigation projects have not been completed for the past 20 years, and average net profit – this is another main aspect – on one acre of land growing cereals is about ₹5,000 only. Therefore, the farmers are not getting remunerative prices not in Punjab, as Sukhdev Singhji rightly said, or in Uttar Pradesh or in Telangana only but, perhaps, it is a common cause in each and every State of India, including my State of West Bengal. I will tell you how we have combated this situation.

Now, Sir, I will go to only one line of the Election Manifesto released by the BJP Party before coming to power, before the 2014 Lok Sabha elections. I would like to mention only one line from page 13 of their Election Manifesto. Under the heading, Agriculture, they have mentioned, and I quote, “Productive, Scientific and Rewarding.” Therefore, they have assured the nation, before coming to power, that they will make the agricultural sector productive, scientific and rewarding, and, to elucidate that point, they have also said — and I quote — that ‘if they come to power, the BJP Government will ensure minimum 50 per cent profit over the cost of production.’ Therefore, there is a pledge before the nation by the ruling party that they will ensure 50 per cent profit over the cost of production. I would like to know from the Government through the hon. Ministers in charge of Agriculture, Food and other Ministries — whoever is competent to reply — the roadmap of this Government to ensure this minimum 50 per cent profit over the cost of production because this is one of the major areas. Why are the farmers taking loan? It is because they are not getting remunerative price. They are producing in the hope that next year when they would get the yield, the produce, they would sell it in the market, they would get remunerative price and so they can pay off the loans by that. But nothing comes out. Therefore, the only alternative left to many of the farmers — I am not talking of the rich farmers; I am talking of the marginal farmers — is to commit suicide. I am not blaming anybody, but this is a situation that the Government must address. The Government must address it the way my Government in West Bengal, under the leadership of Ms. Mamata Banerjee, has done.

Sir, this Government is also confronted with some problems relating to farmers not getting remunerative prices for potatoes. Mr. Sukhdev Singh spoke about the plight of potato farmers in Punjab. We are facing the same problem in West Bengal.

But how has my Government combated it? The Chief Minister of West Bengal had herself announced on the 4th of March that 50,000 metric tons of potatoes would be procured directly from the farmers at the rate of ₹5,500 per metric ton. The Government has taken an initiative to purchase it directly from the farmers. Not only that, several other steps have been taken. There is a scheme for procurement of 50,000 metric tons of potatoes, directly from the farmers from eight major potato-producing districts. Now, what is the Government doing after procuring potato? These 50,000 metric tons of potatoes are being used in the Mid-day Meal Programme for school students and beneficiaries under the SNP programmes of ICDS at the rate of one kg per head per week. This scheme was introduced on the 11th of March. I am talking about this as I feel, if a State Government can do it, why can't the Central Government? This is the moot question.

Sir, I would like to mention here that the Government of West Bengal has ensured procurement directly from the farmers against payment only through account-payee cheques. So, a transparent system has been adopted by the Government. Till the 21st of April, 2015 – we are on the 23rd; I am giving you figures of day-before-yesterday – 20,000 metric tons of potato have been procured from the farmers and they have been paid by account-payee cheques to sustain transparency.

Sir, potato is also being procured directly from the farmers at the rate of ₹550 per quintal daily and 6,000 quintals of potato have been procured so far. Transport Subsidy Scheme has been introduced for the inter-State potato traders and transporters. Jharkhand is adjacent to West Bengal, Odisha and Bihar. They require potatoes from Bengal too.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, please; this is a very serious issue. I appreciate the time constraint but this is a very serious issue. I must highlight certain things. The Transport Subsidy Scheme has been introduced for the transporters. ...(Interruptions)... Sir, I am not asking for unlimited time. I appreciate the time-constraint but please give me some more time. ...(Interruptions)...

Sir, to ease stock-piling in the farms, the Government of West Bengal has, on the 9th of April, requested the Government of India to purchase one lakh metric tons of potatoes from farmers at a minimum price of ₹5,500 per metric ton, which the State Government is already doing, that is, buying from the farmers directly. The Government, led by hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, has written to the Central Government, the hon. Finance Minister, on the 9th of April, to purchase at

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

least one lakh metric tons from farmers. Similarly, Sir, to relieve potato growers from economic hardship, the hon. Chief Minister has herself requested the Government of India to waive the crop loans issued to potato growers during the 2014-15 potato season and also to arrange fresh loans for the ensuing Kharif season. So, these are some of the measures that I have highlighted. Apart from these, there are fifteen other measures that the Government of West Bengal has taken and has come to the rescue of the potato farmers. So, it is not the case of only the potato farmers, if we look at the bigger perspective, if we look at the bigger canvas, the all-India perspective, then we will find that everywhere, particularly the marginal farmers are subjected to such unprecedented crisis. The Government must come out with a definite proposal and the Government must announce it on the floor of this House because this House wants to know about it. Every Member, I think, from the Ruling Party also, from the ruling combination also, has expressed his anxiety and anguish. Therefore, it is the need of the hour that the Government must come out with a definite proposal, a definite programme, as to what are the steps that the Government is taking to address this unprecedented crisis, including how to arrest the situation where the farmers are compelled to commit suicide.

Sir, lastly, I would like to say that about an hour before, I was going through the Internet where a news-item in the international news media about the incidents of Delhi, Rajasthan, and the farmers' suicides, as a whole, had appeared. I think this is affecting the image of our country, especially when we are claiming that we are going ahead with economic growth and we will even cross the economic development or achievements of China. If these sorts of tragic incidents are appearing in foreign media, what will be the impression among the international community about our country? When this Government has extended relief to the corporates to the extent of about ₹ 15,000 crores by way of tax waiver and other incentives, why will this Government not extend such incentives to the farmers in each and every State of this country, who are crying for help every moment? I am asking with folded hands, I am requesting the Government to come forward with a programme and to implement it within a definite time-frame to arrest the situation. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Pramod Tiwari.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, इस चर्चा के लिए 6 बजे का टाइम तय हुआ था, अब 6 बजे के बाद इसे मंड़े के लिए रख लें।

श्री उपसभापति : मैं 6 बजे इस बारे में बात करूंगा।

श्री नरेश अग्रवाल : सर, प्रमोद जी भी मंड़े को बोल लें।

श्री के.सी. त्यागी : सर, अभी 12 लोग और बोलने वाले हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: At 6.00 p.m., we will discuss this issue.

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, कल की तारीख इतिहास में इस बात के लिए याद की जाएगी कि कल का दिन एक ब्लैक डे यानी काले दिन के तौर पर जाना जाएगा और यह कलंक का टीका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इन की वायदाखिलाफी की तरह हमेशा चमकता रहेगा। यह कलंक का टीका उस पार्टी पर भी लगेगा जिस पार्टी ने अभी दिल्ली में सरकार बनाई है। मान्यवर, ये दोनों पार्टियां इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि गजेंद्र ने आत्म-हत्या नहीं की बल्कि इनकी वजह से उसकी हत्या हुई है। उस विश्वास की हत्या हुई है, जिस विश्वास की वजह से वह उनके साथ जुड़ा हुआ था।

मान्यवर, सब से पहले मैं गजेंद्र के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उसके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस सरकार का आचरण रहा है, क्या उससे करोड़ों लोगों का विश्वास नहीं टूटा है? एक प्रदेश का मुख्य मंत्री, उसका उप-मुख्य मंत्री, उसकी सारी सरकार वहां मौजूद थी और एक व्यक्ति 40 मिनट तक अपनी बात कहने के लिए प्रार्थना करता रहा और नीचे से तालियां बजाकर उसे उत्साहित किया जाता रहा। जब वह आत्महत्या की बात कर रहा था, तो उसे उकसाया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था कि वह आत्महत्या न करे, बल्कि उसे उकसाया जा रहा था। मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पाया कि हॉस्पिटल तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, जब वहां डेड बॉडी पहुंच गई और वहां डिक्लेयर हो गया, साथ में उनके एक स्वास्थ्य सचिव भी गए थे, तो मुख्य मंत्री को क्यों उसका पता नहीं लगा? मैं समझता हूँ कि यह राजनीति की गिरावट की चरम-सीमा है कि एक तरफ लाश पर राजनीति होती रही और दूसरी तरफ एक मुख्य मंत्री अपना भाषण करता रहा। अगर वह आत्महत्या है, तो उसको उकसाने के लिए आम आदमी पार्टी पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, उन लोगों पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, जो उसे रोक सकते थे और जिन्होंने नहीं रोका।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो एक बड़ी साफ सी बात है। उसका एक पत्र मिला है और उस पत्र में उसने क्या इच्छा व्यक्त की थी? यही कहा था कि मेरी फसल खराब हो गई है, मैं पिता के द्वारा घर से निकाल दिया गया हूँ, मेरे तीन बच्चे हैं। मैं घर कैसे लौटूँ? इसका रास्ता बताओ। क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री जी, जो लंबी-लंबी बातें करते थे, उसकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनकर उसे कोई निदान नहीं दे सकते थे, ताकि उसकी लाश घर न जाती, बल्कि वह जिंदा सकुशल घर जाता।

मान्यवर, यह कलंक का टीका जितना आम आदमी पार्टी पर है, उससे बड़ा कलंक का टीका भारत सरकार पर है। यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इनका सबसे बड़ा वादा यही था कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, किसानों की आत्महत्याएं रुक जाएंगी। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से आज तक इतनी आत्महत्याएं नहीं हुई थीं, जितनी भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 11 महीनों में हो गई हैं। ...(व्यवधान)... मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये आत्महत्याएं इसलिए हो रही हैं ...(व्यवधान)...

6.00 P.M.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): सर, इतना असत्य बोलने की इजाजत मत दीजिए। ...**(व्यवधान)**... इतना ज्यादा असत्य बोलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी: कृषि मंत्री जी, आप बड़े विद्वान आदमी हैं, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ। क्या मैं यह असत्य बोल रहा हूँ कि चुनाव में अगर हम जीत गए, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: यह अनपार्लियामेंटरी है, असत्य बोलिए।

श्री प्रमोद तिवारी: हां, अनपार्लियामेंटरी है, इसीलिए मैंने कहा। उन्होंने कहा, तो मैंने असत्य कहा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्या यह भी सत्य से परे बात बोली थी कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे, तो प्रति व्यक्ति तीन लाख रुपए देंगे और एक परिवार को पंद्रह लाख रुपए मिलेंगे? क्या यह भी सच से परे बात बोली थी? मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर यह कलंक है और इसलिए यह चमक रहा है। वह रहने वाला कहां का था? वह राजस्थान का रहने वाला था। वहां के तहसीलदार की यह रिपोर्ट थी कि चूंकि क्षति 23/24 प्रतिशत रही, इसलिए वह पात्र नहीं था। यह संवेदनहीनता की इतिहास है। उसके बाद जब उसे राजस्थान में न्याय नहीं मिला, तो वह केंद्र के दरवाजे पर आया। मुझे तो अपने राजनैतिक जीवन में ऐसा याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसी नौबत आई हो कि यहां जो संसद है, इस संसद की दीवाल से लगे हुए जंतर-मंतर पर एक किसान ने हजारों लोगों के सामने आत्महत्या की हो। अगर उसने यह आत्महत्या की है, तो उसकी सीधी-सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, जिसके प्रति जनता का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज उसके मन में एक बोझ है कि उसकी जमीन का क्या होगा? आज वह यह नहीं जानता कि वह जमीन का मालिक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इस सरकार की जिद है और उस कानून को, जिसको एक साल पहले सहमति दी थी, उसको* के साथ आप बदल रहे हैं। इससे बड़ी राजनीतिक* कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी राजनैतिक अनैतिकता कोई नहीं हो सकती। यहां विपक्ष में बैठकर आप जिस कानून के लिए सहमत थे, सत्ता में पहुंचने के बाद पूंजीपतियों के दबाव में आकर आप उस कानून को बदल रहे हैं। इससे बड़ी राजनीतिक* कोई नहीं हो सकती। इसलिए आज जनता का विश्वास, किसान का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। मैं इस बात पर बहुत जोर देते हुए कहना चाहता हूँ कि एक बात कही गई है, कर्ज माफ होता, उस पर बोझ न होता, तो वह आत्महत्या नहीं करता।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Pramodji, please wait.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, I will continue on Monday. ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you. You cannot declare the decision. I will have to do that.

SHRI PRAMOD TIWARI: Then, Sir, give me two, three minutes more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please sit down. ...**(Interruptions)**...

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI PRAMOD TIWARI: I want to finish it. Please let me finish now or give me time on Monday.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; you please sit down. You first obey me. Listen, I have announced earlier that at 6.00 p.m., we will decide whether we should continue to sit today or the discussion is to be taken up the next day. So, I want to take the sense of the House.

श्री नरेश अग्रवाल: सर, कल 11.00 बजे से इस पर बहस शुरू करा दीजिए और कल शायद गृह मंत्री जी नहीं हैं, इसलिए मंडे को गृह मंत्री जी जवाब दे दें, तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, it is a very important subject.
..(Interruptions)..

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Sir, the issue is very serious.
..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, listen. ... (Interruptions)... One suggestion is that we start the discussion tomorrow at 11.00 a.m. Then, you will get one hour tomorrow, 11.00 to 12.00, because at 12.00 you have to take up the Question Hour. So, tomorrow, there will be one hour.

श्री राधा मोहन सिंह : हमारे यहां 62 लोगों की मौत हुई है। इसलिए कल सुबह हम लोग वहां जा रहे हैं। इसलिए कल हम यहां नहीं रहेंगे। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आप कब जा रहे हैं?

श्री राधा मोहन सिंह: हम कल सुबह जाएंगे।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बारे में जो मशविरा दिया है कि हम कल इस डिस्कशन को कंटीन्यू करें, हमें लगता है, इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। कल सुबह ज़ीरो ऑवर के समय हम इस विषय पर डिस्कशन शुरू करें और कल प्राइवेट मैम्बर्स डे है, अगर कुछ सदस्य रह जाते हैं, तो उस समय इसे कंटीन्यू कर सकते हैं। रिप्लाइ के संबंध में, हम माननीय मंत्री जी से अलग से बात कर लेंगे। उनको जब सुविधा होगी, उस समय वे रिप्लाय दे देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, that is the agreement. ... (Interruptions)... Okay, that is the sense of the House.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, in that case, the reply should take place on Monday. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will repeat what has been said. This discussion is not complete now. ... (Interruptions)...

[श्री प्रमोद तिवारी]

SHRI S. MUTHUKARUPPAN : What about the Zero Hour, Sir? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am coming to that. This discussion is not complete now. The suggestion came that the discussion could be started tomorrow at 11.00 a.m. We will have it for one hour at that time and after that the rest we will decide. Reply is left to the Government. We do not fix now. But then there is a question. ...*(Interruptions)*... I know the entire House agrees but remember you are losing the Zero Hour. Don't complain after that. ...*(Interruptions)*...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Zero Hour is important, Sir. ...*(Interruptions)*... That is important to the Members. ...*(Interruptions)*... Therefore, you are requested to continue it on Monday, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, going by the seriousness of the subject, I think, it is better to sacrifice the Zero Hour. We are crying so much about kisans. I think we should sacrifice Zero Hour for the kisans. That is a more important subject. That is also our subject. We can take up Zero Hour, the day after tomorrow. ...*(Interruptions)*...

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, let him finish today. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to sit today? ...*(Interruptions)*...

DR. K.P. RAMALINGAM: It will take five to ten minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What about his suggestion? Let us sit some time more today.

SOME HON. MEMBERS: No, no. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me say something. Let us be practical. You say 'no'. I accept that. But the point is, if somebody wants to speak today, and if they are ready to speak today for some time more, why don't we allow? ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: We have no problem. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Those who say 'no' can go, have tea and go away. I have no problem.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, today, we can continue till seven o'clock.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: उपसभाध्यक्ष जी, अभी इस पर लगभग 18 माननीय सदस्य बोलने के लिए रह गए हैं और सुबह जो बात हुई थी कि सभी सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त समय

* Expunged as ordered by the Chair.

मिलना चाहिए, उसके अनुसार अगर कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसे कंटीन्यू करें, तो कल सुबह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक इसे कंटीन्यू करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कल पूरा समय मिलेगा। पहले जीरो आवर में और उसके बाद भी यदि कोई माननीय सदस्य रह जाएंगे, तो वे 2.00 बजे चर्चा में भाग ले सकते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anyhow, with your permission, I am going to ask Tiwariji to complete his speech. Let him do that. That is with your permission. Yes, Mr. Tiwari, you complete your speech.

श्री प्रमोद तिवारी: मान्यवर, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ।

श्री गुलाम नबी आजाद: मंडे को करा लो।

SHRI PRAMOD TIWARI: I am ready for Monday.

श्री उपसभापति: तिवारी जी, आप बोलिए।

श्री प्रमोद तिवारी: महोदय, मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ कि जब कभी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की सहायता करती है। हमें यह बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने अभी तक कितना धन मुहैया कराया है, और प्रदेशों का बता दें, पर आज की तारीख तक इस बार कितना पैसा उन्होंने मुहैया कराया है? एक बड़ा एज ओल्ड ट्रेडिशन था कि जब कभी आपदा आती थी, तब दो टुकड़ों में सहायता दी जाती थी। एक तो lump sum दे दिया जाता था कि काम शुरू करो, इसको बांटो, जिससे किसान आपदा से निपट सके और एक असेसमेंट करके, कंप्लीट पिक्चर आने के बाद बाकी बकाया दिया जाता था। तो अभी पहले दौर में कितना पैसा प्रदेश सरकार ने दिया है?

दूसरा, एक चीज़ मैं साफ कहना चाहता हूँ कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? यह एक नया ट्रेंड पैदा क्यों हो रहा है? क्यों जनता का विश्वास, आम किसान का विश्वास, जिसे "धरती का भगवान" कहा जाता है, वह आत्महत्या क्यों कर रहा है? उसकी वजह समझनी पड़ेगी। उसका पूरा का पूरा विश्वास... वह महसूस कर रहा है कि उसके साथ* हुआ, उसके साथ* हुआ, उसके साथ* हुआ। कहा जाता था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम हर घर में, हर खाते में पंद्रह लाख पहुंचा देंगे। करोड़ों खाते खुल गए, बंद भी हो गए, विदेशों में प्रचार भी हो गया और कह दिया गया कि खाते में पंद्रह लाख तो छोड़ दीजिए, मैं भी कभी-कभी अपना खाता देख लेता हूँ, पंद्रह पैसे भी नहीं पहुंचे, इसलिए जनता का विश्वास जा रहा है।

दूसरे, जैसे आप लैंड बिल में जल्दबाजी कर रहे हैं, उससे आपका विश्वास जा रहा है कि आखिर लैंड बिल में जो समय-सीमा पांच साल की थी, उसे आप क्यों हटा रहे हैं? आपका इरादा क्या है? क्या आप सारी की सारी ज़मीन लेकर कुछ दिनों बाद उसे पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे हैं? लोगों के दिमाग में यह बात आ रही है कि आप छोटी सी चीज़ किसी से मांगते हैं, तो एक बार उससे पूछते तो हैं कि हम ले लें आपकी चीज़? पर आप तो इसमें से कंसेंट का क्लॉज़ हटा रहे हैं, आखिर क्यों? आपकी नीयत क्या है? जिस दिन किसान अपनी ज़मीन

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री प्रमोद तिवारी]

का मालिक नहीं रह जाएगा, आप भी इस देश के मालिक नहीं रह जाओगे। आपने बहुत वायदा किया था, आपने कहा था कि किसान खुश रहेगा। हम आ जाएंगे, तो गुजरात का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। मान्यवर, मैं छाती की बात नहीं करता, 56 इंच की थी या 64 इंच की थी, लेकिन कहा तो यही जाता था कि गुजरात का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। गुजरात के फॉर्मूले से तो एक ही चीज़ हमें मिली कि जो आत्महत्याएं गुजरात और महाराष्ट्र में हो रही थीं, अब वे पूरे देश में फैल गई हैं। आत्महत्याओं का सिलसिला वहां से चल निकला। वहां ज़मीन पूंजीपतियों के हवाले कर दी जाती थी, आज वही यहां पर किया जा रहा है।

महोदय, कर्ज माफी के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कर्ज माफी जो यू.पी.ए. की सरकार ने की थी, वह 70,000 करोड़ रुपये की थी। मैं समझ सकता हूँ कि गृह मंत्री जी जवाब देते समय कह सकते हैं कि हमने चुनाव के साल में यह किया था। किया तो था! कम से कम उस समय आपदा तो नहीं थी, जब हमने किया था। हमने तो चुनाव के साल में किया, लेकिन आज तो सारा देश आपदा में है, उस समय भी करने को आप तैयार नहीं हो रहे हैं? मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कर्ज माफी पर आपका नज़रिया साफ क्यों नहीं है? कर्ज माफी इस समय किसानों पर सबसे बड़ा बोझ है। मैं तो आपसे यह ज़रूर कहूँगा कि कर्ज माफी के बारे में आपने जो वायदा किया था, उसे आप पूरा कीजिए। कहिए कि किसानों के सिर से यह कर्ज का बोझ हटेगा। इतनी बड़ी आपदा और उसके बाद भी वसूली जारी और केंद्र एक पैसा भी प्रदेशों को नहीं दे रहा है, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह जो पच्चीस प्रतिशत सबसे बड़ी* कहीं हो रही है, तो वह इंड्योरेंस कंपनियां कर रही हैं। **...(समय की घंटी)...** कुल मिलाकर... सर, मैं दो मिनट में बात खत्म कर दूँगा। यह इंड्योरेंस कंपनियां कर रही हैं। जितने की क्षति हुई, उसका एक प्रतिशत और दो प्रतिशत भी इंड्योरेंस कंपनियां नहीं दे रही हैं। एक परसेंट या दो परसेंट भी नहीं दे रही हैं, तो आखिरकार इन इंड्योरेंस कंपनियों को भारत सरकार क्यों नहीं मजबूर करती, क्यों नहीं भारत सरकार उनको मजबूर करके कहती कि किसानों की जो क्षति हुई है, वह दो?

सर, मैं दूसरी बात इनसे जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जब ये जवाब दें तो हमें यह ज़रूर बताएं कि अभी तक क्या कोई ऐसा आश्वासन आपने दिया है? डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपको एड्रेस करते हुए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बातें तो होती रहेंगी, पर मेरा एक अनुरोध है, अगर आप स्वीकार कर लें, तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। कि किसान कर्जमाफी और उस पर जो बोझ आया है, उसकी वजह से आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसका विश्वास सरकार से ढिग गया है, उसका सरकार पर विश्वास नहीं रहा। क्या आप इस पर विचार करेंगे कि यह सदन एकमत से, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करे और भारत के किसानों से अपील करे कि आपका विश्वास ज़रूर डगमगा गया है, आपके सिर पर आपदा ज़रूर आ गयी है, आप बड़ी भारी मुसीबत में हैं, यह सदन उनसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपील करे कि वे आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं — इसकी अपील अगर राज्य सभा से जाएगी तो मैं समझता हूँ कि राज्य सभा अपने कर्तव्य का पालन करेगी। अगर इस पर नेता विरोधी दल, नेता सदन और अन्य लोग सहमत हो जाएं तो एक प्रस्ताव यहां से, सदन के माध्यम से किसानों के बीच

* Expunged as ordered by the Chair.

जाना चाहिए कि वे आत्महत्या करने जैसा कदम न उठाएं। एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप एक सीमा तय कर दीजिए और बता दीजिए कि चुनाव के पहले आपने जो वायदे किए थे, आप खुद तय कर लीजिए, जितने वायदे किए थे, उनमें से एक-दो तो बता दीजिए कि कौन सा वायदा पूरा करेंगे और कब पूरा करेंगे? आपने जो वायदे पूंजीपतियों से किए थे और जो नहीं भी किए थे, उन्हें तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को* दे रहे हैं, किसी के साथ* कर रहे हैं तो किसान के साथ कर रहे हैं। जब राजा व्यापारी हो जाता है, तो बहुत पहले चाणक्य कहकर गए हैं, वह राज्य भिखारी हो जाता है, वह देश भिखारी हो जाता है। ...**(समय की घंटी)**... जब आपका सबसे बड़ा नेता कहेगा कि मैं व्यापारी हूँ तो इस देश का भविष्य अंधकारमय है। मैं सिर्फ इतना कहकर आपसे विदा लूंगा कि किसान भगवान की आह मत लो, किसान भगवान की आह एक दिन खत्म कर देगी, आपके उस गरूर और उस घमंड को, जिसके सहारे आप किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हो। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think we can dispose of one or two more speakers.

SOME HON. MEMBERS: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I respect your opinion but I don't understand the rationale of those, who want to go, preventing others from speaking. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: We are very serious about this subject.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then why don't you allow those who want to speak?

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, we have other commitments also.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, कल फ्राइडे है ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you my problem. I have to share it with you. Today, the demand was that the hon. Members should be given more time. So, we have, by and large, given the maximum time. There are 14 speakers left. You will have one hour tomorrow. Agreed. ...*(Interruptions)*...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, my suggestion is that we continue the discussion from 11:00 a.m. to 12:00 noon and after 2:00 p.m. अगर कोई मेंबर्स रह जाते हैं तो वे कॉन्टीन्यू कर सकते हैं।

श्री उपसभापति : वे सोमवार को कॉन्टीन्यू करेंगे?

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : नहीं, सर। कल करेंगे। ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Naqviji, tomorrow is Friday, so you will start it only at 2:30 p.m. And at that time you have to take up Private Members' business.

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सर, आधे घंटे पहले कर लेंगे। आधा-घंटा या एक घंटा पहले इसे ले लेंगे और फिर बाद में प्राइवेट मेंबर्स बिजिनेस ले लेंगे। अगर सबकी सहमति बनती है तो ऐसा किया जा सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, if there is consensus that can be done.

SHRI DEREK O BRIEN (West Bengal): Sir, we will discuss it tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Now the only decision is that tomorrow we will discuss it for one hour from 11:00 a.m. to 12:00 noon. Rest of the decision we will take tomorrow.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : कल सेंस ऑफ दि हाउस ले लेंगे।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform you that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 23rd of April, 2015, has allotted time for Government Legislative and other Business, as follows:

Business	Time Allotted
Consideration and passing of the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2015, as passed by Lok Sabha.	Two hours
Consideration and passing of the Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2014, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha.	One hour
Consideration and passing of the Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2014, as passed by Lok Sabha.	Two hours
Consideration and return of the Appropriation (Railways) No.2 Bill, 2015, as passed by Lok Sabha.	One hour
Consideration and passing of the Real Estate (Regulation and Development) Bill, 2013.	Two hours